

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 2627 / 14-1 दिनांक, 16 फरवरी, 2021

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक परियोजना,
आई0एच0बी0 प्रा0लि0,
केन्द्रिय निर्माण कार्यालय,
गोमती नगर, लखनऊ

विषय:— Request to provide certified Gazette Notification of protected forest relevant record of reserved forest and other forest record of Non protected forest land in District Unnao for the clearance/EDS compliance of proposal No **FP/UP/OTHER/42798/2019**.

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक IHB/PL/PJ/KGPL/FOREST/UNO/2 (03-02-2021)

महोदया,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में काण्डला से गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन के निर्माण में उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-25, मुर्तजानगर वन ब्लाक, तुकमाननगर वन ब्लाक तथा ओरहर वन ब्लाक के गजट नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार


(ईशा तिवारी)
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

MISCELLANEOUS

August, 23, 1955

No. 3208/XIV- Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under Sub-section(3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927(Act No.XVI of 1927). will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section(1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable to the land specified in the schedule hereto:-

SCHEDULE

Sl. No.	Name of land to be declared protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act.	District	Road mileage	Description of boundary.
1.	Grand Trunk Road from milestone Kanpur 592/0 to mile 663/0		M. 71 Fur. 0 Ft. 0	The land has been ground by stone or cement pillars or boundary dishes.
2.	Kanpur-Kalpi road from milestone 52/0 to mile 96/0		44 0 0	Ditto.
3.	Kanpur-Hamirpur road from mile 2/0 to mile 39/0	do	37 0 0	Ditto.
4.	Old Moghul road from mile 119 to mile 173	do	54 0 0	Ditto.
5.	Lucknow-Kanpur road from mile Lucknow and Unnao 0/0 to mile 16/3-640 ft.	do.	46 3 640	Ditto.
6.	Lucknow-Bareilly road from mile 0/0 to mile 152	Lucknow, Sitapur Shahjahanpur & Bareilly	152 0 0	Ditto.
7.	Lucknow-Pratapgarh road from mile 0/0 to mile 108/0	Lucknow, Rai Bareilly & Pratapgarh.	108 0 0	Ditto
8.	Lucknow-Sultanpur road from mile 0/0 to mile 85/1-228ft.	Lucknow, Rai Bareilly Barabanki & Sultanpur.	85 1 228	Ditto
9.	Lucknow-Faizabad road from mile 0/0 to mile 88/6-513	Lucknow Bara Banki & Faizabad	76 3 366	Ditto
10.	Allahabad-Faizabad road from mile 0/0 to mile 88/6-513	Allahabad Pratapgarh, Sultanpur & Faizabad.	98 3 6 513	Ditto

C.S.

+

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कानिकी वन प्रभाग
इसनाव

	1.	2.	3.	4.	5.
					Ditto
11. Bareilly-Jhanghat road from mile 0/0 to mile 25/0	Bareilly	25	0	0	Ditto
12. Sitapur-Jehangirabad road from mile 0/0 to mile 25/0	Sitapur	25	0	0	Ditto
13. Meerut Bareilly (excluding Rampur State) road from mile 34/0 to 106/7-68 ft. to mile 129/0 20 Miles 1 furlong & 428 feet in length is due to transfer of (From mile No. 86-5-300 to 106-7-68) The portion of Meerut-Bareilly road in Rampur district to the control of Forest Deptt. under G.O.No.4/63 A/XXIII dated 29.2.52.	Moradabad & Bareilly	74	6	232	Ditto
14. Bareilly-Muthura road from mile 0/0 to 50/0	Bareilly & Budaun	50	0	0	Ditto
15. Bareilly-Almora road from mile 0/0 to mile 63/0	Bareilly & Nainital	63	0	0	Ditto
16. Bareilly-Pilibhit road from mile 0/0 to mile 23/0	Bareilly & Pilibhit	23	0	0	Ditto
17. Pilibhitt-Bijnor Tanakpur road from mile 33/0 to mile 62/0	Pilibhit & Nainital	29	0	0	Ditto
18. (a) Joya-Bijnor road from mile 19/0 to mile 78/6	Moradabad & Bijnor	59	6	0	Ditto
(b) Bijnor-Raoli road from mile 0/0 to mile 7/0	Ditto	7	0	0	Ditto.

By order,

P.N. Kapur
Secretary.

CS
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कानिनी वन प्रभाग
उन्नाव

June 18, 1931

No. 325/KIV-B-1274-52.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927), the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that it has been decided to constitute the land detailed in the sub-joined Schedule in Unnao District as Reserved Forest, and under clause (c) of the said sub-section (1) of section 4 to appoint Sub-Divisional Officers of the Sub-Divisions concerned as Forest Settlement Officer for Unnao District.

2. The Governor, in exercise of the powers conferred by section 17 of the same Act is further pleased to appoint and empower the Additional Commissioner, Lucknow/Faizabad Division to hear appeals from the orders of the Forest Settlement Officer.

Tehsil	Pargana	Name of forests	Area	Boundary description of the area taken over			
				North	East	South	West
2	3	4	5	6	7	8	9
			Acres				
Unnao	Jhalotar Ajgain.	Pali	103	Cultivation land no. 210, 583 and 585.	Cultivation land no. 832, 842 and 1431.	Cultivation no. 1415 to 1430.	Cultivation land no. 1-2, 528, 800 and 900.
		Barabuzurg	117	Cultivation no. 28, 83 and 14.	Cultivation no. 1080, 1088 and 180.	Population no. 280 cultivation.	Cultivation no. 24 and 67.
		Firozabad	104	Cultivation no. 120 and 128.	Cultivation no. 507, 288 and 183.	Boundary of Dhanampur and cultivation no. 21.	Cultivation no. 227 and 320.
	Gorinda Farzadan.	Nawai (Rilbe)	104	Cultivation no. 27 and 81.	Cultivation no. 1485, 1490 and 1498.	Population and cultivation no. 423 and 431.	Cultivation no. 225, 241 and 321.
		Tachhilyon	110	Population Nawabganj.	Mawja Amraitha	Maddukhori	Duscha Tal.
		Barabuzurg	184	Cultivation no. 30 and 14.	Cultivation no. 754 and 798.	Cultivation no. 532, 530, 528 and 32.	Barren land cultivation no. 22.
	Jhalotar Ajgain.	Sondar	128	Mawja Barana Niyamatpur.	Mawja Saimura. man cultivation no. 64.	Barren land cultivation no. 695 and 1093.	Mawja Konda cultivation no. 140.
	Gorinda Farzadan.	Palmhar	254	Barha Pond	Cultivation no. 900, 874 and 501.	Pond and cultivation no. 842.	Cultivation no. 150, 23 and 5.
		Kuschi	188	Cultivation no. 585 and 519.	Cultivation no. 211 and 224.	Cultivation no. 283 and 228.	Barren land cultivation no. 928, 832 and 760.
		Mahrore	127.00	Cultivation of Mahrore.	Cultivation of Mahrore.	Cultivation and grove.	Cultivation and grove.
	Mohua	Motary	710	Cultivation no. 3460 and 177.	Mawja Bahrur cultivation no. 3325 and 2947.	Mawja Dhamra cultivation no. 1008 and 1502.	Barren land cultivation no. 1123 and 13.
		Alyar	237				
	Samadpur Bhaia.		354.19	Usar land	Cultivation and Samadpur Bhaia.	Tarda Brook	Cultivation and Bhaia area.
	Fakherdin		102	Samadpur Bhaia and cultivation	Bhakia Jagdishpur and cultivation no. 24 and 87.	Cultivation no. 361 and 650.	Cultivation no. 147.
	Lalpur		121	Fields	Grove	Sepha Brook (Nala) Pond and Ru.	
	Koraur		214	Mawja Nabhampur and cultivation no. 6 and 24.	Mawja Nabhampur	Mawja Pikhama Bakhidpur and cultivation no. 126 and 152.	Mawja Tala Bhaia.
	Rorapur		180	Samadpur Bhaia and cultivation no. 569 and	Fakir Bhaia and cultivation no. 546 and	Cultivation no. 166 and 483.	Barren land cultivation no. 1123 and 13.

		Acres						
	Paroari ..	171	Mawja Padri ..	Cultivation	..	Mawja Dhamiyana	Godinagar.	
	Bachauli	140	Mawja Gairawan	Cultivation no. 5 and 2.	741.	Rampur Gairawan and cultivation no. 441.	Mawja Bhatnagar, and cultivation no. 42.	
	Bahjanpur	183	Barren land	..	Ranapur	..	Cultivation	.. Cultivation.
Unnao ..	Unnao ..	160	Cultivation	no. 1447 and 1880.	Village Harsingha cultivation no. 1408.	Cultivation no. 1013.	Village Makhi-Guan.	
	Hadha ..	142.81	Turkman Nagar	Cultivation and population no. 305 and 352.	Cultivation no. 430 and 403.	Cultivation no. 812.	Village Jhanghri and cultivation no. 117 and 102.	
		870.25	Mawja Bhatnagar	Mawja Bhatnagar cultivation no. 230 and 3440 and 1100.	Mawja Uthra and cultivation no. 88 and 2200.	Cultivated land no. 2047.	Cultivation no. 1092.	
	Kuthar ..	94.06	Field	..	Tal	..	Tal	.. Field and grove.
	Badaa Khara	741	Border of Mawja	Ganga river	..	Ganga river	..	Barren land.
			Tarbiya cultivation no. 434 and 540.					
	Katri Alunpur Sirsa	802.02	Village Nuhapur	Field and population.	Village Marden Khara.		Cultivation.	
	Balal Katri	441.6	Mawja Balal	..	Cultivation	..	Ganga river	.. Cultivation and bank of Ganga.
	Mawja Bhatnagar	253.18	Cultivation	..	Mawja Katri .. Badaa Khara.	Jarya Badaa Khara (Ganga river).		
	Parlar ..	180.10	Mawja Parlar	..	Mawja Bhatnagar	Katri Rampur	Cultivation	
	Katri Maranda Suchit.	308	Population		Cultivation and River Ganga	..	River Ganga.	
					Katri Maranda Mawja.			
	Katri Maranda Taraf Majhara.	658.00	Maranda Suchit	Border of mawja	Ganga river	..	Katri Dadaha.	
				Katri Parlar and cultivation no. 242.				
	Katri Parlar	1250	Barren land	..	Barren land no. 285.	Ganga river	..	Cultivation no. 181.
	Sikanderpur Bhatnagar	150	Mawja Sirsa Bhatnagar	Cultivation no. 1000 and 1300.	Cultivation no. 700 and 092.	Cultivation no. 8 and 585.		
	Parlar ..	101.04	Border of Sadapur	Tal of Parlar	..	Road from Chakal. Road of Maranda. wadi to Parlar.		
	Shafipur ..	400	Barren land	..	Cultivation no. 353 and 340.	Cultivation no. 246 and 401.	Barren land no. 400 and 401.	
	Bangarmaw	806	Cultivation no. 4052 and population.	Village Bhatnagar	Ganga river	..	Population of Mawja Bhatnagar	
	Bhatnagar	472.16	Cultivation no. 1380.	Mawja Mala Alam.	Ganga river	..	Mawja Bhatnagar.	
	Bhatnagar	155	Mawja Fataipur	..	Barren land and Sai river.	Cultivation and grove of Sri Raj Bahadur Singh.		
	Nawabad	305	Mawja Gauriya	Barren land of Gaziuddin canal.	..	Gaziuddin canal.		
	Khaijuddinpur in (Bhatnagar Khatra).	128.20	Mawja Jagatnagar	Cultivation of Ganga river	..	Mawja Mala Alam.		
				Khaijuddinpur.				
	Bhatnagar	20.19	Barren land	..	Mawja Bhatnagar	Mawja Bhatnagar		

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कृषि वन प्रभाग
१३ जून १९५१

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Balhoopur Kattar.	189-78	Khaluddimpur and Mawja Faridpur cultivation no. 15/42, and 15/20.	and cultivation no. 15/24.	Cultivation land no. 15/89.	Katri Malgawal, and cultivation no. 15/29 and 12.		
65	Fatchpur Chaurasi.	Rustampur	103-20	Cultivation no. 18 and 179.	Cultivation no. 424 and 840.	Harren land and Mawja Fatchpur cultivation no. 180 and 180.		
66	Shafipur ..	Dangarmou Badli Hilsanabad.	566	Mawja Jodpurwa Land no. 218	Mawja Kalthaoli	Mawja Maholiya and cultivation no. 180.		
67	Fatchpur Chaurasi.	Dadlahe	848	Cultivation and Population of Dadlahe.	Katri Maranoda	Gangariver .. Rongpur Hahawa.		
68	Parwa	Asoha	Kanthu	971-06	Cultivation no. 2829, Asha-Mioner.	Cultivation no. 2087 and 5828.	Soral Jaga.	
69	Hassanganj	Algain Jhalotar.	Algain	144-59	Cultivated land, Cultivation and Railway line.	Cultivation of Jansar village.	Cultivation of Algain and border of Jansar.	
Total			18,372-60	-156-00				

By order,
B. K. TALWAR,
Sachiv.

Copy forwarded for information.

FSUP--20 Genl. (Forest)--1961--65(M)

800 56-26-1561 Or 10/8/51
Forwarded to F.S.O.
for information

47 DFV
9/8

C.S.
प्रधानी नियंत्रक
समाजीकृत कानिगी वन्यजंगल
दिल्ली

वन विभाग

विधि

१७ जुलाई, १९६६ ई०

सं० २३ (३) १०६/१४-ख-६-इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को रक्षित वन बनाना निश्चित किया गया है।

२-राज्यपाल, उपर्युक्त ऐक्ट की उक्त धारा की उपधारा (१) के खण्ड (सी) के अधीन जिला उन्नाव के उन्नाव, सफीपुर और हसनगंज के परगना अधिकारियों की उक्त खण्ड में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं:

अनुसूची

क्रम-संख्या	जिला तहसील परगना गांव	६१७/१४ ऐक्ट के अनुसार क्षेत्रफल (एकड़ों में)	क्षेत्रफल जो लिया गया (एकड़ों में)	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	कट नं०	क्षेत्रफल	विवरण																																																																																																	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४																																																																																														
१	उन्नाव उन्नाव हड़हा रायपुर बुजुग	२५७	६३	मजदरा	मजदरा	मजदरा	मजदरा	२०३२/३	२०६६	२०६८	२०६६/६	२१००-मि०	२१२२-मि०	२१३३	२१३५	२१३६	२१६५/१-मि०	२२०३	१६	०	०	१३	१४	०	०	०	०	३०	२	७	१	१५	७	०	१६	२	१८	६	८	०																																																																			
										योग .. १०१ १५ १७										अथवा ६३ एकड़																																																																																							
२	उन्नाव हसन-गोरिनवा शंकरपुर गंज परसखन	५७३	५७३	मजदरा	मजदरा	मजदरा	मजदरा	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
										प्रभागीय निदेशक										साप्ताहिक यमिनी वन प्रभाग																																																																																							
										१३८८																																																																																																	

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कानिनी वन प्रभाग
B. ३८

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
७	उत्ताव	उत्ताव	हड़दा	तीरा	२२७	११८	मजहभा	मजहभा	मजहभा	मजहभा	३१६	१५	१३	१४
											३२१	४	८	०
											३२२	०	१८	०
											३३३	०	२	०
											३४०	२०	१७	२
											३४२	०	१	०
											३४३	०	३	०
											३४४	०	३	०
											३४५	१	६	०
											३४७	१	१०	०
											३४८	०	३	०
											३४९	०	१५	०
											३५०	०	१	०
											३५१	०	२	४
											३५२	०	२	०
											३५४	१०	१६	३
											३५५	०	३	०
											३५५	०	१	०
											३५६	०	१	०
											३५७	०	१	०
											३५८	०	२	०
											३५९	०	०	१३
											३६०	०	२	०
											३६२/१	१	१८	१०
											४१५०	२१	६	०
											४१५१	२३	११	०
											४१५३	३	१०	०
											४१६२	१८	१५	०
											४१६८	१०	६	०
											४२४६	२४	१०	१०

योग .. १८८ १५ १०

या

११८ एकड़

८	उत्ताव	उत्ताव	हड़दा	घूरखेत	३७०	१२६.००	"	"	"	"	६५३/१	१४	१५	१०
											६४८	२२	७	०
											६४७	१५	१४	०
											६४८	८	१८	०
											७६३	७	१६	०
											६२४/२	२२	३	०
											१४०६	१३	३	१०
											१८८१/२	१३	६	०
											१८८२/२	१८	७	०
											१६१७	४	१	०
											१६१८	०	१	०
											१६१६	६	२	०
											१६२०/१	२४	०	०
											१६२१/२	२७	१०	०

योग .. २०६ ७ ०

या

१२६ एकड़

९	उत्ताव	उत्ताव	हड़दा	उरहर	३८२.००	३७२	"	"	"	"	४०६	१	१४	०
											४१८	१०	१२	०
											४५७	३	६	०
											४६२/१	२४	१३	५
											४७६/१	४	३	०
											७२६	२	१४	०
											५३३/१	११	१४	१५
											५६४/१	१७	७	०
											५६५/१	११	११	०
											५०७/४	७	५	०

CS

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक कानिनी वन प्रभाग

सन्तान

उत्ता	हस्ता	उत्तर	उत्तर	मजहआ	मजहआ	मजहआ	मजहआ	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११</
-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

CS
प्रभाषीय निदेशक
सामाजिक यमिकी वन प्रभाग
उन्नाव

उन्नाव

उन्नाव उ

to 01
July

In
(Act no
land sh
2. Unde
pleased
Unnao

Serial Dis
no.

1
1 Unnao

In pursu
order the p
July 17, 1969

In exercis
Act no. XVI
and shown in
2. Unde
pleased to app
Unnao as the

Dist District To

2

Unnao Un

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली
पत्रांक- 3622 / 14-10-4 रायबरेली, दिनांक- फरवरी, 20, 2021

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक (परियोजना),
आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड,
केन्द्रीय निर्माण कार्यालय, प्रथम तल विश्वजीत काम्प्लेक्स,
बी-2/6, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।

विषय- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 (मे0 आई0एच0बी0 प्रा0लि0) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित परियोजना लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस पाइप लाइन हेतु रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों/पौधों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-
महोदय,

आपके कार्यालय का पत्रांक-IHB/PL/PJ/KGPL/FOREST/RBL/2 दिनांक- 03.02.2021।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा उक्त परियोजना में प्रभावित होने वाली संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त क्रम में आपको अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल में आपके (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा भरे गये भाग-1 में रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली रेलवे लाइनों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि वन विभाग अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या-3559/चौदह-2-503-77 दिनांक-22.06.1978 एवं वन विभाग अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या-104(2)/14-2-503-77 दिनांक-09.05.1977 द्वारा संरक्षित वन घोषित हैं। ऑनलाइन भाग-1 में लालगंज रेंज के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के क्षेत्रफल एवं संयुक्त स्थलीय रिपोर्ट में प्रस्तुत वन भूमि के क्षेत्रफल में भी भिन्नता प्रदर्शित हो रही है।

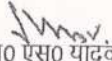
अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के भाग-1 में संशोधन करने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्भव हो सके।

भवदीय,


(एम0 एस0 यादव)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक- 3622 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, डलमऊ एवं लालगंज को इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थलीय जांच रिपोर्ट में आपकी रेंजों के अन्तर्गत उक्त परियोजना में प्रभावित होने वाली संरक्षित रेलवे लाइन के क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः अपनी-अपनी रेंजों के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली संरक्षित रेलवे लाइन के क्षेत्रफल को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित करें।


(एम0 एस0 यादव)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

(रायबरेली)

Raebareilly

83 (1)

C105-934

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, २१ दिसम्बर, १९७० ई० (अप्रत्यापन ३०, १८९२ गाज संवत्)

६०५

१	२	३	४	५	६	७	८
५	पट्टर नं० ५, भूमि नं० ८४२ के उत्तर-पूर्वी मेड़ के मोड़ पर स्थित है	ब०	१६०.००	१०.००	..	सीधी जरीब जाइन	
६	पट्टर नं० ६, भूमि नं० ८४२ के दक्षिण-पूर्वी मेड़ के मोड़ पर स्थित है	द० प०	२८५.००	१०५.००	२.००	"	
७	पट्टर नं० ७, भूमि नं० ८४२ के पश्चिमी मेड़ के प्रथम मोड़ पर स्थित है	द०	१६०.००	१०.००	१.००	"	
८	पट्टर नं० ८, भूमि नं० ८४२ के पश्चिमी मेड़ के द्वितीय मोड़ पर स्थित है	प०	२७५.००	३५५.००	१.५०	"	
कुल पट्टर—३०२		योग जरीब	..	४७५.४०			

२४ जुलाई, १९७० ई०

सं० ४६८४/१४-ख-२० (३३४)-६६-विज्ञप्ति संख्या ४६७६/१४, दिनांक २७ सितम्बर, १९५५ द्वारा संलग्न अनुसूची में निविट भूमि को, इंग्लिश फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित बन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट द्वारा निविट अबधि समाप्त हो गयी है;

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं;

अतएव, अब, उक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक २१ जनवरी, १९७१ से उक्त भूमि को रक्षित बन घोषित करते हैं

अनुसूची

जगतपुर रामगढ़ी, फारेस्ट ब्लॉक २८७ एकड़

रेन्ज रायबरेली, जिला रायबरेली

जिला	तहसील	परगना	गांव	खसरी नम्बर	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६
रायबरेली	इलमऊ	खीरो	जगतपुर रामगढ़ी	१	मी० वि० बि० ३ ४ ०
				२	१ ० ०
				३	० १६ ५
				४	० १६ ५
				१०/१	४ ५ ६
				१०/४	१२ २ १०
				१३	० ६ ५
				१४	२ १५ ५
				२८/२	१ ६ १६
				२८/३	१ १६ ०
				२६/१	० १० ०
				२०/३	२ ८ ०
				४४	४ १० ०
				६२	१ १२ ५५
				६३	३ १६ ०
				८०	१ ६ ०

प्रभागीय निदेशक
रासायनिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, २१ दिसम्बर, १९७० ई० (अप्रहायण ३०, १८९२ शक संवत्)

प्रभागीय निर्देशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

2012

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

171

वन विभाग

अनुभाग-2

विविध.

28 जनवरी, 1977 ई०

सं 656/14-2-20(8)-75--अधिसूचना संख्या 6495/

अ.क. दिनांक 11 फरवरी, 1966 द्वारा अधिलिखित अनुसूची

अधिनियम, 1927 (अधि-

नियम संख्या 16, 1927) के अर्थन आरक्षित वन बनाने का

अर्थन किया गया था ;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के

लिए उक्त अधिनियम के द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन

अधिकारों के प्रयोग करने के लिये दिनांक 30 अप्रैल 1977

को अंतिम की अवधि वन घोषित करते हैं।

अनुसूची

विशेष-रखवरेली तहसील-सलोना परगना-सलोना

प्लॉट नं० रकबा विवरण

1 2 3 4

बि० बि० बि०

2,2 0 1 2 इस ग्राम में चकबंदी न

11 0 13 5 होने के कारण नये

13 1 1 4 पुराने नम्बरों के

26 0 3 9 तुलनात्मक खसरे का

37 0 4 11 कोई प्रदान नहीं है।

38 0 5 8

39 0 3 9

40 0 6 7

41 0 3 10

42 2 19 13

43 22 8 3

44/1 0 10 0

46 0 9 5

47 0 5 0

49 1 5 4

50 0 14 4

51 0 12 3

52 1 18 15

53 2 6 0

55,2 31 5 6

60 0 6 8

64 1 3 14

67 0 1 0

69,1 1 9 17

73,1 0 3 8

75,1 0 3 4

76,2व3 16 12 7

77 0 4 0

78,1 15 5 0

1	2	3	4
दाहावाव	83	1 4 0	बि० बि० बि०
	85	1 2 0	
	89	0 14 12	
	92	3 9 11	
	95	0 13 11	
	108	0 8 19	
	109	0 7 4	
	111	8 14 11	
	115	0 1 8	
	116/1	2 2 1	
	121	2 7 1	
	122	0 11 1	
	128	0 5 12	
	129	1 15 8	
	133/1	0 15 16	
	143	1 13 16	
	144	1 13 16	
	145	1 17 4	
	146	0 18 10	
	147/1	21 2 2	
	149	2 0 0	
	150	2 2 5	
	151	2 1 9	
	152	0 2 0	
	153	0 3 4	
	154	0 5 10	
	164	0 0 15	
	167	6 7 15	
	175/2	0 10 0	
	176	0 2 5	
	177	0 3 0	
	182	0 16 7	
	223/1	0 0 1	
	232	9 10 15	
	234	1 5 11	
	241	0 2 15	
	243	0 9 12	
	247	0 5 0	
	305	0 1 12	
	281	0 1 4	
	286	1 7 10	
	294	0 1 10	
	298/2	2 5 12	
	309	0 9 4	
	329/1	7 15 0	
	129/345	0 10 18	
	88	1 10 19	
	102	0 9 0	
	220	0 3 4	
	222	0 6 5	
	238	1 1 10	
	326/1	15 0 9	
	1	3 9 16	
	8	0 14 3	
	16	0 19 9	
	27	2 10 7	

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

1	2	3	4	1	2	3	4
		बी०वि०वि०				बी०वि०वि०	
शाहाबाद	97	5 2 9		शा.हा.बा.द	311/1	3 0 3	
	201	1 4 5			318	6 12 18	
	240	0 19 18			328/1	7 2 8	
	242	1 10 12			294/247	1 8 3	
	244	3 8 2					
	290	18 9 17		योग	..	270 9 19	
	296	0 15 11		अ.च.दा		169.06 ए.च.ड.	
	304/1	0 6 7					

60.453

ग्राम—शाहाबाद, परगना व तहसील—सलोन, जिला—रायबरेली

पत्थरों के स्थान स्थिति का विवरण	एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक की सम्भावित दिशा	सम्भावित अंशोपकरण समक्षी	विपक्षी	एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक की सम्भावित दूरी जो भौके पर जरीब द्वारा नापी गयी	सीमा की प्राकृतिक व शा	विवरण
----------------------------------	---	--------------------------	---------	---	------------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

चैक नं० 1

बाबत भूमि सं० 1, 11, 43, 55/2-मि०, 78/1-मि०, 64, 111, 116/1, 121, 167 इत्यादि

1	पत्थर नं० 1, ग्राम तिहदा, ग्राम शाहाबाद, हथकुई व हरदू सराय के तिहदे पर स्थित है	द० प० की ओर	नाले की सीमा द्वारा बांछित				पत्थर नं० 1, ग्राम शाहाबाद हथकुई व हरदू सराय के तिहदे से शुरू किया गया है।
2	पत्थर नं० 1-ए, भूमि नं० 4 के उत्तर-पश्चिम के कोण पर तथा नाले के किनारे पर स्थित है	उ० पू०	104.30	284.30	0.80	सीधी रेखा में	
3	पत्थर नं० 2, भूमि नं० 3 के पश्चिम-मो मेड़ के मोड़ पर स्थित है	उ० पू०	6.45	186.45	0.60	"	
4	पत्थर नं० 3, भूमि नं० 3 के उत्तर-पश्चिम के कोण पर स्थित है	उ० पू०	47.30	227.00	1.30	"	
5	पत्थर नं० 4, भूमि नं० 2/1 के उत्तर-पश्चिम के कोण पर स्थित है	उ० पू०	75.15	255.15	0.80	"	
6	पत्थर नं० 5, भूमि नं० 2/1 के उत्तर-पूर्व के कोण पर स्थित है	द० पू०	149.00	329.00	1.00	"	
7	पत्थर नं० 6, भूमि नं० 3 के दक्षिण पूर्व के कोण पर स्थित है	द० पू०	109.45	289.45	0.60	"	
8	पत्थर नं० 7, भूमि नं० 7 के पश्चिम-मो मेड़ के मोड़ पर स्थित है	उ० पू०	349.45	169.45	1.53	"	

6.63

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

सलोन	21 सैदपुर	0.00	47.60	47.60	धारा-20 हो गया है। संख्या 4698/14-2-20(9) दि० 9-8-88
सलोन	22. नायन	51.60	0.00	51.60	धारा-4 हो गया है। संख्या 6495/14-ख दि० 11-02-66
सलोन	23. बगहा	84.40	0.00	84.40	धारा-4 हो गया है। संख्या 4979/14 दि० 27-9-55
सलोन	24. खमरियाँ पूरे कुशल	58.30	0.00	58.30	धारा-4 हो गया है। संख्या 6495/14-ख दि० 11-02-66
सलोन	25. ककरहा	22.00	0.00	22.00	धारा-4 हो गया है। संख्या 6495/14-ख दि० 11-02-66
सलोन	26 ख्वाजापुर	0.00	64.00	64.00	धारा-20 हो गया है। संख्या 2035/14-2-20(71)-74 दि० 16-7-74
सलोन	27. बाराडीह	38.40	0.00	38.40	धारा-4 हो गया है। संख्या 6495/14-ख दि० 11-02-66
योग सलोन रेंज		379.40	454.30	833.70	
डलमऊ	28. चरुहार जियायक	0.00	131.30	131.30	धारा-20 हो चुका है। विज्ञापित संख्या-7123/14-2-93-20 (42)-1993 दि० 1-2-94
डलमऊ	29. सुदामापुर	93.60	0.00	93.60	धारा-4 हो गया है। संख्या 4979/14 दि० 27-9-55
डलमऊ	30. गोविन्दपुर माधौ	146.40	0.00	146.40	धारा-4 हो गया है। संख्या 4979/14 दि० 27-9-55
डलमऊ	31. हथकुई	58.40	0.00	58.40	धारा-4 हो गया है। संख्या 4979/14 दि० 27-9-55
डलमऊ	32. रोहनियाँ	97.60	0.00	97.60	धारा-4 हो गया है। संख्या 4979/14 दि० 27-9-55
डलमऊ	33. रायपुर	0.00	70.80	70.80	विज्ञापित जारी की जा चुकी है। संख्या-1023/14-2-20(20)/81 दि० 7-7-88

अनुसूची

तहसील	परगना	ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल
२	३	४	५	६
डलमऊ	खीरो	श्यामपुर	१५	बी० बि० बि०
			६७	६ १४ १
			१०८	४ १२ १२
			१८४	५ १२ १
			१८५/१	७ ० १६
			१८५/२	२१ ६ ०
			२२६	४ १३ ०
			२३०/१	६ १६ ६
			२३०/२	११ ० ०
			२३१	१० १ ३
			२३२/१	१० १६ १६
			२३२/२	११ ४ ०
			२६१	७ १२ ४
			२६४/२	४ १३ १८
			२८२	७ ८ १८
			२८४/१	६ १६ ६
			३११	४ १४ ४
			३२०	६ १२ १५
			३२३	६ ५ १०
			३२३	४ १६ ५
			३३३	४ १८ ७
			३६८	१३ १४ ६
			४४०	५ १ ८
			४४२	३ १ १६
			४५६	६ १३ १३
			४५७	२ ५ ११
			४८७	७ ७ ५

योग ..

२६

१६७ ८ १३

अथवा १२३ एकड़

५९.७९४६

सीमाबद्ध वन-क्षेत्र तालिका

ग्राम श्यामपुर, परगना खीरो, तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली

स्थित का विवरण	स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ को निर्दिष्ट	स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ तक की आंशिक सीमांता (कोण)	स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ तक सम्भावित तक जमीन में	स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ तक जमीन में रेखा स्थित	विवरण
२	३	४	५	६	७
बाबत भूमि नं० ४४०, ४४२, ४५६ तथा ४५७	उ०प०	३४०.००	१६०.००	६.००	सीधी रेखा
भूमि नं० ४५७ के बीच तथा तिहुदा ग्राम श्यामपुर व श्यामपुर के बीच की दूरी पर	द०प०	२१२.००	३२.००	२.६०	"

प्रभागीय निर्देशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

वन विभाग

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन एच.ए.ए. के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्थानीय लैंड एक्वीजिशन अधिनियम के पद पर नियुक्त रहें :--

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अमरा प्रताप	बनारस
२	" त्रिलोक सिंह	फैजाबाद
३	" फयाज हुसैन	झांसी
४	" दीनानाथ शर्मा	गोरखपुर

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५४२१/१-य-००६-५४-सी एच.ए.ए. अधिनियम, १९४७ (पैरा १, १९५४) की धारा ५ के अन्तर्गत (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजपाल महोदय श्री कल्याण राम शर्मा, डिप्टी कलेक्टर, बल्लिया की शर्तों के अधीन जिला बरौनी में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

विधि

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२००/१४-उत्तर प्रदेश के राजपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) धारा २३ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीघा जमीन के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिवन्धनात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २०-ए के साथ पठित उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के निदेश अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत स्थित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सिमा का
१	पेड़ टंक रोड, मील ५.६२/० से लेकर मील ६.६३/० तक	कानपुर	मी० फ० फी० ७१ ० ०	जमीन की सीमा या सीमेंट के द्वारा बाइपास रोड पर की गई है
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५.२/० से लेकर मील ६.६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमौरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील १९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	कोल्हमगल रोड, मील ११.२/० से मील १७.३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील ० से लेकर मील ४.६/३-६.४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	लखनऊ-बरेली सड़क मील ० से लेकर मील १५.२/० तक	लखनऊ, मीरपुर, झाड़-महाराजगढ़, बरेली	१५.२ ० ०	"
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील ० से लेकर १०.०/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०.० ० ०	"
८	लखनऊ-मुतापपुर सड़क, मील ० से लेकर मील ५.१/० तक	लखनऊ, रायबरेली, बरेली	५.१ ० ०	"

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
असयबरेली

प्रभागीय निदेशक
उपस्थित वानिकी वन प्रभाग
असयबरेली

नाम सड़क	दूरी मील फर्माइ और फीटों में	विवरण
मपुर) १८—ओहरा-मानपुर ओसा	० १० ० ०	भूमि की सीमा पक्षियों द्वारा अंकित की गई है।
१९—सर विसलपुर	१७ ० ०	"
२०—बांरा फरा बिबारा	५ ० ०	"
२१—खोदपिली	९ ० ०	"
२२—मनपुर डरिपल	३ ० ०	"
२३—डरहल काशीपुर	५ ० ०	"
२४—मनकरा किमरी	५ ० ०	"
२५—हाहाबाव डरिया	९ ० ०	"
२६—परवड जीलपुर	५ ० ०	"
२७—उजाव	१—उजाव-हरदोई रोड	मील १ से मील ३५ तक
	२—उजाव-उजाव (जं. १ बीघापुर)	मील २२ से मील १२३ तक
	(३—लालगंज रोड)	
२८—लखनऊ	१—मीतुला एज बनी रोड	शून्य से ११ मील तक
	२—बनी-हरीजी रोड	" ७ मील तक
	३—मछली भवन बाई पास रोड	" २ मील तक
	४—चिन्हट मजहो रोड	" १ मील ७ फं. १०० फी. तक
	५—लखनऊ-हरदोई रोड	"
२९—बांवा	१—एफ० बी० एस० रोड	मील २४ से मील ७० तक
	२—बी० एन० के० रोड	" २ " ३२ "
	३—बांवा अलीहा बमेल रोड	" २ " २५ "
	४—ए० बी० रोड	" ३२ " ११८ "
	५—के० पी० आर० रोड	" १ " २० "
	६—मरेजी-कलिंगर रोड	" १ " १९ "
३०—फतेहपुर	१—एन० एन० जी० टी०	मील ५४३ से मील ५९२ तक
	२—एफ० बी० एन० रोड	" १ " २३ "
	३—ए० ई० एफ० रोड	" १७५ " १९२ "
	४—बी० बी० रोड	" १ " ७ "
	५—एफ० आर० एस० रोड	" १ " १५ "
	६—शिवराजपुर-बिला रो	" ४ " १० "
	७—बी० एल० रोड	" १ " २० "
	८—भागा-तीवता रोड	" १ " १० "
	९—फतेहपुर-बिहार रोड	" १ " ८ "
	१०—जहालाबाद बाई पास	" १ " २ "
३१—कानपुर	१—नरवल सरोल रोड	६०६ मी० ५ फं. ५७१ फीट जी० टी० रोड का
	२—चकेरी रेलवे फीडर रोड	०-०-० से ०-१-३२६
	३—बिघनू रेलवे फीडर रोड और मालगोदाम रोड	०-०-० से ०-७-५३७ फीट

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अयबरेली

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
अयबरेली

22 जून 1978 ई०

संख्या 3559/चौदह-2-503-77-भारतीय वन अधिनियम 1927 भाग 1
संख्या 16, 1927 की धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य प्रावधानों का प्रयोग कर
समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग इसके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उक्त प्रावधानों को
प्रदेश में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या वंजर भूमि की परिधियों का, बाड़ों का, बाड़ों का
पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम की धारा 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू होंगे।
अनुसूची

अनुसूची

विवरण और स्थिति

पहली का नाम

रेलवे

पुनर्भू के त्तिये वन विभाग को अन्तर्गत
जुलारी, रेलवे के निम्नोहासित सेवमान के
और स्टेमन याई से लागी हुई भूमि

तस्मिन् विडम्बितम् -

- ✓ 1- लखनऊ- रमणबरेली-प्रतापगढ़ 952
2- वाराणसी-मुमतासराय
✓ 3- उत्तरेटिंगा-भुलतानपुर-जगरावाय
4- उन्नाव-अंबाहूर
5- पैजाबाद-भुलतानपुर-पौमामऊ

आज्ञा. से -

एन०पी० त्रिपाठी
सचिव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायवरेली

परिचय - FORM
अधिसूचना

22 जून 1978 ई०

59/चौकट संख्या 5559/121/चौकट-2-503-77 के दिनांक 22 जून 1978 द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या 5559/चौकट-2-503-77 दिनांक 22 जून 1978 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित उत्तर प्रदेश में रेलवे के दोनों ओर की सीमा सम्बंधों से सीमांकित वन भूमि की समस्त परिदृश्यों को चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अतएव, अब राज्य पाल उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके -

1. इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से उक्त भूमि पर लगे हुए समस्त वृक्षों को आरक्षित घोषित करते हैं और,

2. उक्त दिनांक से ऐसे किसी वन में पत्थर की खुदाई करने, धुने या लकड़ी को काटने या तोड़ने या ऐसे किसी वन में वन उपज का संग्रह करने या उस पर कोई भी निर्माण या भवन निर्माण या मरुतों के गोल बनाने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये किसी ऐसे वन में भूमि तोड़ने या साफ करने का प्रतिषेध करते हैं।

आज्ञा से,

एन०पी० त्रिपाठी,
सचिव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

9 मई 1977 सो

धारा 29 के अधीन सार्वजनिक वन घोषित किया गया है।
अतएव अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन शक्ति
प्रयोग करेंगे - अधिनियम के दिनांक से उक्त भूमि पर की जाने वाली

के कोसी को फुलाने या ऐसे किसी वन में वन उपाय का समापन करने या उस पर कोई चिकित्सा प्रक्रिया करने या उसे करने या उसे हटाने और भवन निर्माण या पशु गोश रखने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे वन में भूमि तोड़ने या सा का प्रतिक्रिया करते हैं ।

का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 संख्या 104/बीएच-2-503/77 दिनांक 9 मई 1977 भारतीय जनता पार्टी
 1927 अधिनियम संख्या 16, 1927 के धारा 29 के अधीन शक्ति का और
 निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित
 अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या
 भूमि की परिदृश्यों को, चाहे उन पर पृथक् लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित
 है तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू

अनुसूची

विद्युरूप और स्थिति

पहली का नाम

पुनर्जन्म के लिये यह विचारों को अतिरिक्त रखने
 रखने के निम्नलिखित विधानों के रखने एक जगह
 स्टेशन या ठेके से लगी हुई भूमि

संस्कृत विद्यालय -

✓ 1- रायवरेली-जंवाहर-पुणेमार्ग

7 - उत्तरसौराष्ट्र - बीजापूर.

४ नानपुर बैला-उन्न १५-१०००

अपराध मे -

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रभाग
रायबरेली

एन० एम० टी०

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़

पत्रांक 2234 / 15-2 दिनांक, प्रतापगढ़, फरवरी, 18 2021।
सेवा में,

मुख्य प्रबंधक परियोजना,
आई0एच0बी0 प्रा0लि0,
केन्द्रिय निर्माण कार्यालय,
गोमती नगर, लखनऊ

विषय:- Request to provide certified Gazette Notofocation of protected forest relevant Record of reserved forest and other forest rwcord of Non protected forest land in District Unnao for the clearance/EDS compliance of proposal No FP/UP/OTHER/42798/2019.

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक IHB/PL/PJ/KGPL/FOREST/UNO/2 (03.02.2021)

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में काण्डला से गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन के निर्माण में प्रतापगढ़ वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले लालगंज-कालाकांकर मार्ग (संरक्षित वन भूमि) का गजट नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(वरुण सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़।

क्रमांक	नाम सड़क	दूरी मी० फ० और फीटों में	विवरण
४	रामतराम पुरव रेलवे फाईर रोड और मालगोदाम रड	०-०-० से ०-०-५४९	भूमि की सीमा पत्थरी द्वार के दिस की गई है।
५	घाटमपुर रेलवे फाईर रोड	०-०-० से ०-१-३३८	"
६	घाटमपुर-माल रड	०-०-० से ०-२-४१३	"
७	बलाइ रोड पोखन	कनाल बंध रेलवे फासिंग से नहर के फासिंग तक	"
८	कनाल रोड	बी० टी० रोड के ६२० मील ३ फ० से बंगाल नदी तक	"
९	ओल्ड इलाहाबाद रोड	०-०-० से ३-६-४५० तक	"
१०	कल्याणपुर-बिहार रोड	६२६ मील २ फ० बी० टी० रोड से लोकल रोड के ८ मील पर	"
११	बारा-अकबरपुर रोड	मील १ से मील ४ तक	"
१२	कुरा-कुरापुर रोड	मील १ से मील ९ तक	"
१३	कुरा-अकबरपुर रोड	मील १ से मील ८ तक	"
१४	अकबरपुर-माल रोड	मील १ से मील ४ तक	"
१०	फजाबाद		
१	फजाबाद-आजमगढ़ रोड	शून्य से मील ५९ तक	"
२	जैनपुर-अकबरपुर रोड	मील ३१ से मील ५० फ० ४ तक	"
३	दांडा-अकबरपुर रोड	शून्य से मील १०, फ० ४ तक	"
४	गोसाईगंज-रेनेव बाधम रोड	४ तक	"
५	फजाबाद-रायबरेली रोड	मील १, फ० ५ फी० ३० से मील २७ तक	"
३१	मुलतानपुर		
१	जखनम-बलिया रोड	मील २१ से मील २१६ तक	"
२	मुलतानपुर-जामा रोड	" "	"
३२	बा की		
१	हंदरगढ़-रामसतीया रोड	फ० २, फीट २२६ से मील १८ फ० ० फीट २१६ तक	"
२	बाराबंकी-बेवा रोड	शून्य से मील ८ तक	"
३	बेवा-फतेहपुर रोड	शून्य से १० मील ४ फ० ३३४ फी० तक	"
३३	प्रतापगढ़		
१	प्रतापगढ़ पट्टी-विजयनगर रोड	मील ३ से मील ३१ तक	"
२	इलाहाबाद-बनार रोड	मील २५ से मील ४९ तक	"
३	लालगंज-कालाकफर रोड	शून्य से मील २५ तक	"
४	जखनम-बनार रोड	मील १०६ से मील १२५ तक	"
५	कटरा-गुलाबसि रोड	शून्य से मील ४ तक	"
३४	इलाहाबाद		
१	इलाहाबाद-बांदा रोड इलाहाबाद जिले में	११ मील ३ फ० से ३१ मील तक	"
२	भारतगंज-प्रतापगढ़ रोड एम० डी० गार० मन्दा मील से	शून्य मील के प्रत्येक से ५७ मील ४ फ० तक	"
३	साठव मगेज प्रेन्ड रोड इलाहाबाद जिले में	५१२ मील ३ फ० ३१० फीट से ४७८ मील तक	"
४	इलाहाबाद-राव रोड	शून्य से २८ मील ३ फ० ७२ फीट तक	"
५	इलाहाबाद-बनार रोड	९ मील ८ फ० से २४ मील ८ फ० तक	"
६	एन० एच० रुट नं० बी० टी० रोड	५०१ मील से ५४२ मील तक	"
७	भारतगंज-राजापुर रोड	१ मील से २८ मील तक	"
८	सिरावू-काहा रोड	१ मील से ५ फ० तक	"
९	संतोरी रेलवे फाईर रोड	१ मील सिर्फ	"
१०	मन्दा रो-सराय बांदा रोड	१ मील से १३ मील तक	"
११	एन० एच० वेब रोड नं० २ बी० टी० पूर्वी	मील ३३ फ० ७ फीट ३०	"
	और इलाहाबाद बांदा पास रोड मील ४६८ से ५०३		

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन

वन्य जीव प्रभाग

२०/११/६०

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज ।

पत्रांक 2856 / 5-8 दिनांक, प्रयागराज , मार्च 15, 2021 ।
सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक, परियोजना
आई०एच०बी० प्रा०लि०
केन्द्रीय निर्माण कार्यालय, गोमती नगर
लखनऊ ।

विषय:— Request to provide certificate gazette notification of protected forest relevant record of reserved forest and other forest record of non protected forest land in district prayagraj for the clearance/ EDS compliance of proposal no FP/UP/Other/42798/2019.

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक IHB/PL/PJ/KGPL/Forest/PRG/2 dated 03-02-2021.
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में काण्डला से गोरखपुर एल०पल०जी० पाइप लाईन के निर्माण में प्रयागराज वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले रायबरेली —ऊँचाहार— फाफामऊ रेलवे लाईन, फाफामऊ— जंघई— जफराबाद रेलवे लाईन, इलाहाबाद—प्रतापगढ़ रेलवे लाईन, वाराणसी—इलाहाबाद रेलवे लाईन एवं एन०एच०—2 रोड (संरक्षित वन भूमि) के गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित है ।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार ।

(वाई०पी० शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, राऊ
प्रयागराज वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

[Noti.]

waste lands
ho State of
forests and
applicable

tion yards
Northern
partment

munia on

rest Act,
s behalf,
waste
e State
forests
applicable

nd station
below on
d to the
ent—

Noti.]

NOTIFICATIONS

Moradabad Division 1

1. Raiwala—Rishikesh.
2. Najibabad—Kotdwar.
3. Muazampur Narain—Gajroula.
4. Khurja—Hapur—Meerut.
5. Raja-Ka-Sahaspur—Sambhal—Hatim Sarai.
6. Ram Ganga—Chanchti.
7. Rosa—Sitapur Cantt.
8. Sitapur—Balamau—Unnao.
9. Laksar—Dehra Dun.
10. Aligarh—Chandausi—Barcilly.
11. Moradabad—Chandausi.

Lucknow Division

1. Rae Bareilly—Unchahar—Phaphamau.
2. Phaphamau—Allahabad.
3. Phaphamau—Janghai—Zafrabad.
4. Zafrabad—Akbarpur.
5. Akbarpur—Tanda.
6. Faizabad—Akbarpur.
7. Utraithia—Faizabad.
8. Kanpur Central—Unnao—Lucknow.

Allahabad Division.

1. Hathras—Hathras Kila.
2. Shikohabad—Farrukhabad.
3. Barnan—Etah.
4. Chunar—Chopan.
5. Tundla—Yamuna Bridge.

(A)

Noti. No. 8109/XIV-2—503-77, dated January 25, 1979.¹

In exercise of the powers under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and section 68 of the said Act to be applicable to them :

1. Published in U. P. Gazette, Part I, dated 17th February, 1979, pp. 446-447.

स्वास्थ्य प्रकाशित

प्रभात निदेशक
सामाजिक नित्यी दन प्रभाग
प्रकाशक

THE INDIAN FOREST ACT, 1927

[Noti.]

SCHEDULE

[Noti.]

Name of strips

Description and situation

Railway

The land along the railway track and station yards of the sections mentioned below on the North Eastern Railway transferred to the Forest Department for management :

Izzatnagar Division

1. Rawatpur—Farrukhabad.
2. Farrukhabad—Kasganj.
3. Kasganj—Achmra.
4. Kasganj Junction—Barcilly.
5. Barcilly Junction—Kathgodam.
6. Bhojipura—Maillani.
7. Pilibhit—Tanakpur.
8. Mathura Junction—Vrindavan.
9. Pilibhit—Shahjahanpur.
10. Sahbajnagar—Pherganj.
11. Moradabad—Kashipur.
12. Kashipur—Ramnagar.
13. Lalkunwan—Kashipur.
14. Mandhana—Bramhvar.
15. Izzatnagar—Sahmatganj.
16. Izzatnagar—Kalhasganj.

Lucknow Division :

1. Gorakhpur Chhawanl—Gonda.
2. Gonda—Lucknow Junction.
3. Lucknow Junction—Rawatpur.
4. Maillani—Daliganj.
5. Gorakhpur—Gonda (Loop).
6. Mankapur—Katra.
7. Gonda—Maillani.
8. Anandnagar—Nautanwa.
9. Burahbal—Sitapur.
10. Gansari—Jarwa.
11. Naupara—Nepalganj Road.
12. Dudwa—Gauriphanta.
13. Dudwa—Chandan Chawki.
14. Sitapur—Thomsanganj.

Varanasi Division :

1. Bhatni—Gorakhpur Chhawanl.
2. Bhatni—Varanasi.

When
June 22, 1927
pillars were
Pradesh as
declared to
1927 :

Now,
of the said
(a)

(b)

When
9, 1977 all :
whether un-
as mentione
to be protec

Now,
of the said
(a)

(b)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
प्रकाशनालय
1. Publi
2. Publi

[Noti.]

uation

and station yards
ow on the North
the Forest Depart-

[Noti.]

NOTIFICATIONS

223

3. Varanasi—Allahabad City. ✓
4. Bhatni—Bankata.
5. Gorakhpur Chhawani—Tinpheria halt (Loop).
6. Aurihar Junction—Bakulha.
7. Chhitauni—Kaptanganj.
8. Salempur—Barahajhajar.
9. Indara—Dohrighat.
10. Phepna—Indara.
11. Mau Junction—Shahganj.
12. Aurihar—Jaulpur.
13. Madhosing—Cheelh.

(5)

Noti. No. 3559(2)/XIV-2-503-77, dated June 22, 1978.¹

Whereas by Government Notification No. 3559/XIV-2-503-77, dated June 22, 1978 all strips of Government waste lands demarcated by boundary pillars whether under tree growth or not, on either side of railways in Uttar Pradesh as mentioned in the Schedule given in the said notification have been declared to be protected forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 :

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers under section 30 of the said Act is pleased—

- (a) to declare all trees standing in or upon the said lands to be reserved with effect from the date of publication of this notification ; and
- (b) to prohibit from the said date the quarrying of stones, burning of lime or charcoal or the collection or subject to any manufacturing process or removal of any forest produce in any such forest and the breaking up, or clearing of land for building or for herding cattle or for any other purpose of any land in such forests.

(6)

Noti. No. 104 (2) /XIV-2-503-77, dated May 9, 1977,²

Whereas by Government Notification No. 104/XIV-2-503-77, dated May 9, 1977 all strips of Government waste land demarcated by boundary pillars whether under tree growth or not, on either side of railways in Uttar Pradesh as mentioned in the Schedule given in the said notification have been declared to be protected forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927.

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers under section 30 of the said Act is pleased—

- (a) to declare all trees standing in or upon the said land to be reserved with effect from the date of publication of this notification ; and
- (b) to prohibit from the said date the quarrying of stones, burning of lime or charcoal or the collection or subject to any manufacturing

1. Published in U. P. Gazette, Part I, dated 15th July, 1978, p. 1616.
2. Published in U. P. Gazette, Part I, dated 23rd May, 1977, p. 1734.

स्वायत्त प्रशासित
प्रशासित निदेशक
सामाजिक कृषि वन प्रभाग
प्रशासक

10100

101

1-2

101

22 जून 1970 ई०

संख्या 3359/वी०-2-302-77-आरटी० का निर्धारण 1970
 संख्या 16, 1970 की धारा 29 के अधीन शांति का और इस विधि-
 सार्वजनिक शांति का प्रयोग करने वाले राजस्थान निवासी/विदेशी
 प्रदेश में रहने के लोगों सरकार के सरकारी वन या संचार भूमि की सीमाओं
 पर आने हों या नहीं, संरक्षण का जोर देकर है तथा उन वन के
 के अध्याय 4 और धारा 68 के सम्बन्ध लागू होंगे।

अनुसूची

पट्टी का नाम

विवरण और स्थिति

रेलवे

पुस्तक के तहत वन विभाग
 उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित
 और स्टेशन पाठ से लगे हुए हैं:-

संलग्न विवरण -

- ✓ 1- तालाब- रत्नमंजरी-मुक्तसर 459-10
- 2- आराजी-मुक्तसर
- ✓ 3- उत्तरी रेलवे-मुक्तसर-आराजी
- 4- उन्नाय-उन्नाय
- 5- पैलावाड-मुक्तसर-मुक्तसर

प्रमुख निदेशक
 सामाजिक कृषि वन प्रभाग
 प्रशासन

जाता है -

एन०पी०आर०
 अधिकारी

उत्तर प्रदेश गजट, २० फरवरी, १९६० ई० (अंक १८८१ के अन्तर्गत)

कार्यालय उपमहाप्रबंधक
दूरसंचार, परियोजना
कार्यालयी
कम से २५६
दिनांक १०-६-६०
भारत संचार निगम लिमिटेड

बुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-एत-टी/३६-ए-१२१६ (एत-टी)-५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक १ जनवरी, १९६० ई० के अनुसार संख्या ३२ पर प्रकाशित विज्ञापित संख्या ६७१७ (एत-एम)/३६-ए-१२१६ (एत-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० के अन्तर्गत "सुपरिटेन्डेंट इन्जीनियर" के स्थान पर शायद "सुपरिटेन्डेंट इन्जीनियर" पदमें।

भासा से
हरीश चन्द्र शर्मा,
सचिव।

वन विभाग

विधिव

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-३३१-३०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का ज्ञापन है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अर्पित जमीन तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उपधारा के प्रतिवन्धक द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जमीन तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपबन्ध अंतर्गत अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम/सड़क	दूरी मील, फर्जाऊ और फीटों में	विवरण
१-मेरठ सीट	१-मेरठ-बागपत रोड	३ मील से ३१ मील २ फ०	भूमि की सीमा बत्तारों द्वारा चिह्नित की गई है।
	२-बागपत-सहारापुर	१ मील से २४ मील २ फ०	"
	३-बागपत-सीता-शाहपुरा	शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-मुल्ताना	२ मील से १७ मील	"
	५-मेरठ-बुलन्दशहर	२ मील से २९ मील तक	"
	६-डी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील	"
	७-डी० सी० रोड	८७ मील से ८७३ मील	"
	८-बागपत-बनसडीकरी	१ मील से ६ मील	"
	९-मुल्ताना-रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०-मुल्ताना-रेलवे फीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११-मुल्ताना-रेलवे फीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सवरना रोड	२४२६ से १२,३,३२०	"
	१३-इरेला-सवरना रोड	०.०० से ६.४.२६०	"
	१४-बुलन्दशहर-सेवापुर रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५-मेरठ-सवरना रोड	१ से ९ मील	"
	१६-मेरठ-बरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७-नेशनल हाईवे २० नं० २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८-डी० सी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश पाउडर	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
	१९-गाजीपुर-हथपुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०-हापुरगाढ़ रोड	१ मील ४८७ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-डी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील	"
	२-सलीम-जमशेद-फिस्त-बिजौरी	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-बामल-बरीना	२ मील से ३१ मील	"
	४-मुजफ्फरनगर-सहारापुर	७७ मील से १० मील	"
	५-मुजफ्फरनगर-बिजौरी	७३ मील से २१ मील तक	"
	६-मीरना-रकीराताल	शून्य से ३ मील तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-बुलन्द-रेल	७ मील तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-बागपत-सहारापुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

टाकापुत्री प्रमाणित
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक एनीकी वन प्रभाग
प्रमाणित

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक एनीकी वन प्रभाग
प्रमाणित

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक एनीकी वन प्रभाग
प्रमाणित
Hindustan Petroleum Corporation Limited.

भाग ३ II

उत्तर प्रदेश राज्य (सड़क परिवहन) अधिनियम, १९३८ (संख्या १३८) के अन्तर्गत

जिला	नाम सड़क की गति	दूरी मी० फ० और फीटों में	विवरण
काशीपुर	४-रामसराय पुरा रेलवे फीडर रोड और सांलगांव रोड	०-०-० से ०-०-५४९	मौज की सीमा परकी-द्वार में किच की गई है।
	५-घाटमपुर रेलवे फीडर रोड	०-०-० से ०-१-३३८	"
	६-घाटमपुर-सांलगांव रोड	०-०-० से ०-२-४१३	"
	७-बलाइड रोड परधान	कमाल बके रेलवे फीडर से लड़के फीडर तक	"
	८-कमाल रोड	मी० टी० रोड के ६२० मील ३ फ० से गंगा नदी तक	"
	९-मील इलाहाबाद रोड	०-०-० से ३-६-४५० तक	"
	१०-कल्याणपुर-विहारी रोड	६२६ मील २ फ० मी० टी० रोड से जरेकल रोड के ८ मील पर	"
	११-बारा-अकबरपुर रोड	मील १ से मील ४ तक	"
	१२-करी-बारापुर रोड	मील १ से मील ९ तक	"
	१३-करी-अकबरपुर रोड	मील १ से मील ८ तक	"
	१४-अकबरपुर-सांलगांव रोड	मील १ से मील ४ तक	"
३०-फज्जाबाद	१-फज्जाबाद-आजमगढ़ रोड	शून्य से मील ५९ तक	"
	२-गोनपुर-अकबरपुर रोड	मील ३१ से मील ५० फ० ४ तक	"
	३-आजमगढ़-अकबरपुर रोड	शून्य से मील १०, फ० ४ तक	"
	४-गोसाईगंज-रेनेव आशम रोड	४ तक	"
	५-फज्जाबाद-रायबरेली रोड	मील १, फ० ५ फी० ३० से मी० २७ तक	"
३१-मुलतानपुर	१-जखनम-बलिया रोड	मील ११ से मील ११९ तक	"
	२-मुलतानपुर-जायस रोड	" "	"
३२-बाराबंकी	१-हैदरगढ़-रामखनेरीबाद रोड	फ० २, फीट २२६ से मील १८ फ० ० फीट २१९ तक	"
	२-बाराबंकी-बेवा रोड	शून्य से मील ८ तक	"
	३-बेवा-कतेहपुर रोड	शून्य से १० मील ४ फ० ३३४ फी० तक	"
३३-प्रतापगढ़	१-प्रतापगढ़ पट्टी-तिरामगढ़ रोड	मील ३ से मील ३१ तक	"
	२-इलाहाबाद-उस्ता रोड	मील २५ से मील ४१ तक	"
	३-लालगंज-कालाह रोड	शून्य से मील २५ तक	"
	४-अखनऊ-बनारस रोड	मील १०६ से मील १२५ तक	"
	५-कटरा-गुलाब सि रोड	शून्य से मील ४ तक	"
३४-इलाहाबाद	१-इलाहाबाद-बांदा रोड इलाहाबाद जिले में	११ मील ३ फ० से ३१ मील तक	"
	२-बाराबंकी-प्रतापगढ़ रोड एम० डी० मार० नगर मील से	शून्य मील के परवर से ५७ मील ४ फ० तक	"
	३-साठव गंज प्रेमचंद रोड इलाहाबाद जिले में	५१२ मील ३ फ० ३१० फीट से ४७८ मील तक	"
	४-इलाहाबाद-बांदा रोड	शून्य से २८ मील ३ फ० ३३४ फीट तक	"
	५-इलाहाबाद-उस्ता रोड	१ मील ८ फ० से ३४ मील ८ फ० तक	"
	६-एन० एम० एन० मी० डी० रोड	५०१ मील से ५४२ मील तक	"
	७-मुरतगंज-राजापुर रोड	१ मील से २८ मील तक	"
	८-किराण-करी रोड	१ मील से ५ फ० तक	"
	९-मंजीरी देवसे के रोड	१ मील तक	"
	१०-मंजीरी-नारायण के रोड	१ मील से १३ मील तक	"
	११-एन० एम० देव से एम० २ मी० डी० रोड और इलाहाबाद बांदा पात रोड मील ४५८ से ५०२	मील ३३ फ० ७ फीट ३०	"

स्वयं प्रती फांकि
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक पानिकी वन प्रभाग
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक पानिकी वन प्रभाग

tod

सेवा में,

प्रमाणित प्रमाणित निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
पत्रांक : 2819 / 14-16 जौनपुर दिनांक : फरवरी 3, 2020

मुख्य प्रबन्धक परियोजना,
आई0एच0बी0 प्रा0लि0,
केन्द्रिय निर्माण कार्यालय,
गोमती नगर, लखनऊ

विषय:-

Request to provide certified Gazette Notification of protected forest relevant of reserved forest and other forest record of Non protected forest land in District Jaunpur.

संदर्भ -

आपका पत्रांक सं0- Jaunpur. IHB/PL/PJ/KGPL/FOREST/JNP/2 दिनांक 03.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जौनपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत कोई आरक्षित वनभूमि नहीं है। संरक्षित वन घोषित रेलमार्ग/मार्गों के गजट नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति संलग्न है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

- २-बागवत-बागवत
- ३-बागवत-बागवत
- ४-बागवत-बागवत
- ५-बागवत-बागवत
- ६-बागवत-बागवत
- ७-बागवत-बागवत
- ८-बागवत-बागवत
- ९-बागवत-बागवत
- १०-बागवत-बागवत
- ११-बागवत-बागवत
- १२-बागवत-बागवत
- १३-बागवत-बागवत
- १४-बागवत-बागवत
- १५-बागवत-बागवत
- १६-बागवत-बागवत
- १७-बागवत-बागवत
- १८-बागवत-बागवत
- १९-बागवत-बागवत
- २०-बागवत-बागवत

- १-बागवत-बागवत
- २-बागवत-बागवत
- ३-बागवत-बागवत
- ४-बागवत-बागवत
- ५-बागवत-बागवत
- ६-बागवत-बागवत
- ७-बागवत-बागवत
- ८-बागवत-बागवत
- ९-बागवत-बागवत
- १०-बागवत-बागवत
- ११-बागवत-बागवत
- १२-बागवत-बागवत
- १३-बागवत-बागवत
- १४-बागवत-बागवत
- १५-बागवत-बागवत
- १६-बागवत-बागवत
- १७-बागवत-बागवत
- १८-बागवत-बागवत
- १९-बागवत-बागवत
- २०-बागवत-बागवत

- २१-बागवत-बागवत
- २२-बागवत-बागवत
- २३-बागवत-बागवत
- २४-बागवत-बागवत
- २५-बागवत-बागवत
- २६-बागवत-बागवत
- २७-बागवत-बागवत
- २८-बागवत-बागवत
- २९-बागवत-बागवत
- ३०-बागवत-बागवत

- ३१-बागवत-बागवत
- ३२-बागवत-बागवत
- ३३-बागवत-बागवत
- ३४-बागवत-बागवत
- ३५-बागवत-बागवत
- ३६-बागवत-बागवत
- ३७-बागवत-बागवत
- ३८-बागवत-बागवत
- ३९-बागवत-बागवत
- ४०-बागवत-बागवत

- ४१-बागवत-बागवत
- ४२-बागवत-बागवत
- ४३-बागवत-बागवत
- ४४-बागवत-बागवत
- ४५-बागवत-बागवत
- ४६-बागवत-बागवत
- ४७-बागवत-बागवत
- ४८-बागवत-बागवत
- ४९-बागवत-बागवत
- ५०-बागवत-बागवत

- ५१-बागवत-बागवत
- ५२-बागवत-बागवत
- ५३-बागवत-बागवत
- ५४-बागवत-बागवत
- ५५-बागवत-बागवत
- ५६-बागवत-बागवत
- ५७-बागवत-बागवत
- ५८-बागवत-बागवत
- ५९-बागवत-बागवत
- ६०-बागवत-बागवत

[illegible]

परिशिष्ट - 11.2

परिशिष्ट - संरक्षित वन, जौनपुर

संरक्षित वन घोषित रेलपथ पटरियों का विवरण

सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के अन्तर्गत निम्न लिखित रेलपथ पटरियां संरक्षित वन घोषित हैं -

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	किमी० संख्या जो संरक्षित वन घोषित है		विज्ञप्ति संख्या
		किमी० से	किमी० तक	
1	2	3	4	5
उत्तर रेलवे				
	जफराबाद-फैजाबाद जं०	823	874	104/XIV-2-503-77 दिनांक 09.05.1977
	जमई-प्रतापगढ़ जं०	0	47	104/XIV-2-503-77 दिनांक 09.05.1977
	जमई-भाफामऊ जं०	0	870	104/XIV-2-503-77 दिनांक 09.05.1977
	वाराणसी-जफराबाद जं०	800	823	3559(2)/XIV-2-503-77 दिनांक 22.06.1978, (सोपाना जट, भाग-1 में दिनांक 15.07.1978 को प्रकाशित)
	जफराबाद-मुल्तानपुर जं०	823	870	—
	वाराणसी-प्रतापगढ़ जं०	837	870	—
	जौनपुर-जौनपुर जं०	9	58	8109/XIV-2-503-77 दिनांक 25.01.1979
	मुकु-शाहगढ़ जं०	83	98	8109/XIV-2-503-77 दिनांक 25.01.1979

दायाल सिंह

प्रभासी निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

जौनपुर

पुन विभाग

विधिम

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० ११५/१४-३२१-१०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह है कि इंडियन कारोड ऐक्ट, १९३७ (ऐक्ट सं० १६, १९३७) की धारा २१ की उपधारा (३) के अंतर्गत अर्पित जाय तथा अनिवार्य रूप से इसका अधिकतम समय समेत कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को बाधता हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उपधारा के प्रतिभाग्यपूर्ण द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित करने पर धारा की उपधारा (१) द्वारा अर्पित अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार की धारा के अंतर्गत अर्पित करने वाले ऐक्ट के अध्याय ४ के उपधारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	ग्राम समूह	दूरी मील, कर्जागा और लोडों में	विवरण
१-मेरठ सीट	१-मेरठ-नामपत रोड	१ मील से ११ मील २ फ०	नवि की सीमा दसपरी द्वारा सीमित की गई है।
	२-नामपत-साहयपुर	१ मील से २४ मील २ फ०	
	३-नामपत-सोनी-साहयपुर	ग्राम से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	
	४-मेरठ-बुधना	२ मील से १७ मील	
	५-मेरठ-बुधना	२ मील से २९ मील तक	
	६-डी० चार० एम० रोड-	४१ मील से ५५ मील	
	७-डी० टी० रोड	८७० मील से ८७१ मील	
	८-प्रगमाबाद-बनहरीकरी	१ मील से ६ मील	
	९-मुद्रावतपुर रेलवे	ग्राम से २ फ० १०६ फीट तक	
	१०-मोदीनगर-रेलवे कोर	ग्राम से ६४० फीट तक	
	११-मोदीनगर-रेलवे कोर	ग्राम से ४ फ० १० फीट तक	
	१२-मेरठ-साहयपुर रोड	२४२६ से १२१-२२०	
	१३-दुरेला-साहयपुर रोड	०.०.० से ६.४.६०	
	१४-बुधना-साहयपुर रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	
	१५-बुधना-बुधना रोड	१ से ९ मील	
	१६-मेरठ-बुधना रोड	२३ मील से ३१ मील २ फ० २०० फीट तक	
	१७-मेरठ-बुधना रोड	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक २ मील १ फ० से ३ फ० तक	
	१८-डी० टी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश सरकार	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	
	१९-गाजीपुर-गाजीपुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	
	२०-गाजीपुर रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	
२-मुद्रावतपुर	१-डी० चार० एम० रोड	५६ मील से ११ मील	
	२-साहयपुर-बुधना-विहारी	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	
	३-मुद्रावतपुर-गाजीपुर-रती	२ मील से ३१ मील	
	४-मुद्रावतपुर-साहयपुर	७७ मील से १० मील	

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 36, अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स- 0542 2585574

ई-मेल dfvrns@yahoo.in

पत्रांक- 7556 / 29-1 दिनांक, वाराणसी,

अप्रैल, 12, 2021।

सेवा में,

✓ मुख्य प्रबन्धक (परियोजना)

IHB प्राइवेट लि० विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:- प्रस्ताव संख्या-FP/UP/OTHERS/42798/2019 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र दिनांक 03.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में वाराणसी जनपद में संरक्षित वन भूमि से सम्बन्धित मार्गों की अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

संलग्नक-15

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960

संख्या-1115/xiv- 331-50 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 (एक्ट- xvi/1927) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त एक्ट की धारा-80ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त एक्ट के अध्याय 4 के उपलब्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील, फलांग व फीट में	विवरण
जौनपुर	1. बादशाहपुर रेलवे फील्ड रोड	0 से 2 फलांग 545 फीट	भूमि का सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई
	2. लाइन बाजार नईगंज बाईपास रोड	1 से 3 फलांग 266 फीट तक है	—"
	3. मिर्जापुर-जौनपुर रोड	25 मील 1 फलांग 177 फीट तक	—"
	4. लखनऊ-बलिया रोड	18 मील 1 फलांग 135 फीट तक	—"
	5. जौनपुर-शाहगंज-अकबरपुर	21 मील 1 फलांग 447 फीट तक	—"
	6. इलाहाबाद-गोरखपुर रोड	9 मील 1 फलांग 491 फीट तक	—"
	7. मछलीशहर-जंघई रोड	12 मील — फलांग 1 फीट तक	—"
	8. जौनपुर-प्रतापगढ़ रोड	24 से 27 मील 6 फलांग 520 फीट तक	—"
	9. लालसराय-दीदागंज रोड	0 से 6 मील 5 फलांग 150 फीट	—"
	10. अकबरपुर-मुदगीगंज रोड	1 मील 3 फलांग 280 फीट	—"
	11. शाहगंज-तिकोलिया रोड	0 से 7 मील 3 फलांग 440 फीट	—"
	12. मीनपुर रेलवे स्टेशन मार्ग	0 से 60 फलांग 280 फीट	—"
	13. मीनपुर फाड़ा सी०सी० फफरा	5 फलांग 73 फीट से 7 फलांग 20 फीट	—"
	14. सराय	0 से 4 मील 4 फलांग 591 फीट	—"
	15. लिंग रोड	0 से 2 फलांग 121 फीट तक	—"
	16. रेलवे फिडर रोड	0 से 14 फलांग 447 फीट तक	—"
वाराणसी	1. लखनऊ-बनारस रोड	165 से 176 तक	—"
	2. बनारस-आजमगढ़ रोड	0 से 23 मील 1 फलांग 40 फीट	—"

	3. बनारस-बलिया रोड	मील 1 से मील 5 तक	---
	4. सारनाथ रोड	1 मील 2 फलांग तक	---
	5. जी०टी० रोड	423 से 477 मील तक	---
	6. गिर्जापुर रोड	1 से 6 मील तक	---
गाजीपुर	1. बनारस-बलिया रोड	20 से 47 मील तक	---
	2. गाजीपुर-गोरखपुर रोड	85 से 85 मील तक	---
	3. बनारस-बलिया रोड	47 से 70 मील तक	---
	4. मृगहरी आड़ रोड	1 से 2 (फलांग-2) तक	---
	5. मुहमादाबाद-कासिमाबाद रोड	5 से 14 मील तक	---
	6. सादीपुर-दोपारी रोड	1 से 4 1/2 मील तक	---
	7. गोमती ब्रिज रोड	5 से 14 मील 4 फलांग तक	---
	8. अपठनीय रोड		---
	9. बहरिया-गाजीपुर रोड	15 से 32 मील तक	---
	10. गिर्जापुर-रोबर्टगंज रोड	1 से 27 मील तक	---
	11. नारायणपुर-मैरौरा रोड	1 से 13 मील तक	---
	12. गिर्जापुर सीमा रोड	1 से 43 मील तक	---

6

4. Kasganj Junction—Bareilly.
5. Bareilly Junction—Kathgodam.
6. Bhojipura—Maillani.
7. Pilibhit—Tanakpur.
8. Mathura Junction—Vrindavan.
9. Pilibhit—Shahjahanpur.
10. Sahbajnagar—Pherganj.
11. Moradabad—Kashipur.
12. Kashipur—Ramuagar.
13. Lalkunwan—Kashipur.
14. Mandhana—Bramhvar.
15. Izzatnagar—Sahmatganj.
16. Izzatnagar—Kallhasganj.

Lucknow Division :

1. Gorakhpur Chhawani—Gonda.
2. Gonda—Lucknow Junction.
3. Lucknow Junction—Rawatpur.
4. Maillani—Daliganj.
5. Gorakhpur—Gonda (Loop).
6. Mankapur—Katra.
- ✓ 7. Gonda—Maillani.
8. Anandnagar—Nautanwa.
9. Burahilal—Sitapur.
10. Gansari—Jarwa.
11. Nanpara—Nepalganj Road.
12. Dudwa—Gauriphanta.
13. Dudwa—Chaudan Chawki.
14. Sitapur—Thomsanganj.

Varanasi Division :

1. Bhatni—Gorakhpur Chhawani.
2. ~~Bhatni—Varanasi.~~ (1)
3. Varanasi—Allahabad City.
4. Bhatni—Bankata.
5. Gorakhpur Chhawani—Tinpheria halt (Loop).
6. Aurihar Junction—Bakulha.
7. Chhitauri—Kaptanganj.
8. Salempur—Barahajbajar.
9. ~~Indara—Dohrigat.~~ (11)
10. ~~Phepna—Indara.~~ (11)
11. Mau Junction—Shahganj. (11)

21242 5101 544.0101

प्रमाणित निदेशक

सा. व. वन प्रभाग

म. म. म.

9. Laksar—Dehra Dun.
10. Aligarh—Chandausi—Bareilly.
11. Moradabad—Chandausi.

Lucknow Division :

1. Rae Bareilly—Unchabar—Phaphamau.
2. Phaphamau—Allahabad.
3. Phaphamau—Janghai—Zafrabad.
4. Zafrabad—Akbarpur.
5. Akbarpur—Tanda.
6. Faizabad—Akbarpur.
7. Utraithia—Faizabad.
8. Kanpur Central—Unnao—Lucknow.

Allahabad Division :

1. Hathras—Hathras Kila.
2. Shikohabad—Farrukhabad.
3. Barhan—Etah.
4. Chunar—Chopan.
5. Tundla—Yamuna Bridge.

(4)

English translation of *Van Vibhag, Noti. No. 8109/XIV-2-503-77*, dated January 25, 1979, published in *U. P. Gazette, Part I*, dated 17th February, 1979, pp. 446-447

In exercise of the powers under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and Section 68 of the said Act to be applicable to them :

SCHEDULE

Name of strips	Description and situation
Railway	The land along the railway track and station yards of the sections mentioned below on the North Eastern Railway transferred to the Forest Department for management :

Izzatnagar Division :

1. Rawatpur—Farrukhabad.
2. Farrukhabad—Kasganj.
3. Kasganj—Achnera.

१२४५५१८५५५१०१८१

प्रभागिक निदेशक
सा० व० वन प्रभाग
भरु

NIYOJAN VIBHAG

MISCELLANEOUS

February 13, 1960

No. 7593/XXXV-A-864-55.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (z) of clause (2) of section 2 of the U. P. Rural Development (Requisitioning of Land) Act, 1948 (U. P. Act no. XXVII of 1948), and in continuation of Government notification no. 4685-R/DC-801-50, dated December 7, 1951, the Governor of Uttar Pradesh is hereby pleased to declare the following items to be objects essential for the development of agriculture and improvement of the life of community in rural areas of the State :

- (a) places for recreation or for games, sports and physical exercises for the community;
- (b) minor irrigation schemes constructed through Gaon Panchayats or their sub-committees or any Co-operative Organization;
- (c) establishment of a poultry, animal breeding or dairy farm;
- (d) laying out of pipe lines for drinking or irrigation purposes ;
- (e) land for community afforestation and orchards ;
- (f) community latrines ;
- (g) construction and widening of village paths and roads ;

(h) construction of guls for drinking purposes ;
(i) land required to conserve soil or check erosion ;

(j) construction of enclosures for skinning of animals, hide flaying or tanning and curing hides ;

(k) land required for the disposal of dead bodies and carcasses and of other offensive matter ;

(l) land required for establishment of markets or melas ;

(m) land required for construction of a community building meant for the development of agriculture or for the improvement of standard or condition of the life of the community as a whole in rural areas.

By order,
SATISH CHANDRA, *Sachiv*

VEDYUT VIBHAG

LEAVE

February 11, 1960

No. 196-E-60/XXIII-PB-68-EH-59.—Sri Vallab Das Seth, Executive Engineer, Hydro-Electric Division Gonda, is granted earned leave for ninety days with effect from November 9, 1959.

By order,
B. B. LAL, *Sachiv*

VAN VIBHAG

MISCELLANEOUS

February 10, 1960

No. 1115/XIV-331-50.—Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of entries and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XV of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government, and therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule hereto :

Schedule

District	Serial no.	Name of road	Mileage to be declared as Reserve or Protected Forest		Description of boundary
			From	To	
1	2	3	4	5	6
			M. fg. ft.	M. fg. ft.	
Meerut	1	Meerut-Baghpat Road	3 0 0	31 2 0	The boundary of the land has demarcated on the ground by stone pillars.
	2	Baghpat-Saharanpur	1 0 0	24 2 0	Ditto.
	3	Baraut-Chhaprauli	1 0 0	9 0 0	Ditto.
	4	Baghpat-Loni Shadra	0 0 0	17 3 250	Ditto.
	5	Meerut-Mowana	2 0 0	17 0 0	Ditto.
	6	Meerut-Bulandshahr	2 0 0	29 0 0	Ditto.
	7	D. R. M. Road	41 0 0	55 0 0	Ditto.
	8	G. T. Road	870 0 0	873 0 0	Ditto.
	9	Jangamabad-Basantkari	1 0 0	0 0 0	Ditto.
	10	Moradnagar Railway Fwyder	0 0 0	0 2 100	Ditto.
	11	Modi Nagar Railway Fwyder	0 0 0	0 0 640	Ditto.
	12	Mohiddanpur Railway Fwyder	0 0 0	0 4 10	Ditto.
	13	Meerut-Sardhana Road	2 0 420	12 3 320	Ditto.
	14	Dauraha-Sardhana	0 0 0	6 4 200	Ditto.
	15	Bulandshahr-Siuna Garh Road	24 0 0	31 and mile	Ditto.
	16	Meerut-Barailly Road	23 0 0	31 3 200	Ditto.
	17	National Highway Rt. no. 24	28 3 0	28 8 0	Ditto.
	18	G. T. Road (Ghaziabad to Uttar Pradesh Border).	3 1 0	3 3 0	Ditto.
	19	Ghaziabad-Hapur Road	871 0 548	870 2 70	Ditto.
	20	Hapur-Garh Road	1 0 0	21 6 240	Ditto.
				19 4 70	Ditto.

Divisional Forest Officer
Gorakhpur Forest Division
Gorakhpur

District	Serial no.	Name of roads	Mileage to be declared as Reserved or Protected Forests		Description of boundary
			From	To	
1	2	3	M. fg. ft.	M. fg. ft.	4
39. Mirzapur	1	Mirzapur-Robertganj Road	1 0 0	27 0 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.
	2	Mirzapur-Ahroa Road	1 0 0	17 0 0	Ditto.
	3	S. G. C. T. Road	423 0 0	477 0 0	Ditto.
	4	Mirzapur-Rewa Road	1 0 0	43 0 0	Ditto.
	5	Mirzapur-Chopra Road	1 0 0	6 0 0	Ditto.
40. Basti and Gonda	1	Grand Trunk Road National Highway	85 0 0	148 0 0	Ditto.
	2	O. T. Road National Highway	89 0 0	93 0 0	Ditto.
	3	Basti-Domraganj-Barnmi Road	By-pass. Total length 5 1/2 miles.		Ditto.
	4	Nowgarh-Lumbini Garden Road	Mile 5 (fg. 8) to mile 55—50 5/8 miles		Ditto.
	5	Khalilabad-Mohdawal Road mile 1—15	0 0 0	16 0 330	Ditto.
	6	Khalilabad-Nath Nagar-Mikhaliapur Road	1 0 0	15 0 0	Ditto.
	7	Khalilabad Railway Feeder	1 to 13 (4 fg.) + 12 1/2 miles.		Ditto.
	8	Basti Bansar Road	0 0 0	0 2 0	Ditto.
	9	Basti-Nagarh Road	0 1 238	9 8 0	Ditto.
	10	Nagarh-Sohratgarh Road	0 0 0	14 2 0	Ditto.
	11	Sohratgarh-Nepal Border Road	0 0 0	5 4 0	Ditto.
41. Gonda	1	Bahraich-Balrampur Road	29 0 0	39 0 0	Ditto.
	2	Gonda-Balrampur Road	0 0 0	26 0 0	Ditto.
	3	Balrampur-Utupur Road	0 0 0	17 0 0	Ditto.
	4	Balrampur-Utraula Road	0 0 0	17 0 0	Ditto.
	5	Utupur-Nepal Border Road	0 0 0	15 0 0	Ditto.
	6	Bara Banki-Gonda Road	24 0 0	55 0 0	Ditto.
	7	Faizabad-Bahraich Road	8 0 0	49 0 0	Ditto.
	8	Gonda-Utraula Road	1 0 0	32 2 0	Ditto.
	9	Nawabganj-Utraula Road	1 0 0	37 7 0	Ditto.
	10	Gonda-Bahraich Road	1 0 0	12 2 0	Ditto.
	11	Barhamghat-Bahraich Road	28 0 0	35 4 0	Ditto.
	12	Jarwal Town to Jarwal Road C. C. T.	1 0 0	4 2 0	Ditto.
	13	Colonelganj-Parazpur Road	1 0 0	9 8 0	Ditto.
	14	Pa. bati Khari Bauli Road C. C. T.	1 0 0	5 2 0	Ditto.
42. Bahraich	1	Faizabad-Bahraich Road	50 0 0	74 0 0	Ditto.
	2	Pyngpur Railway Feeder Road	0 0 0	0 5 362	Ditto.
	3	Chilwariya Railway Feeder Mile Road	0 0 0	0 2 106	Ditto.
	4	Approach Road to Goods Shed Road, Bahraich.	0 0 0	0 3 292	Ditto.
	5	Bahraich Railway Station	0 0 0	0 3 202	Ditto.
	6	Approach Road to Judges Court	0 0 0	0 1 357	Ditto.
	7	Darg h Road	1 0 0	0 3 100	Ditto.
	8	Bahraich-Barhamghat Road	1 0 0	27 0 0	Ditto.
	9	Bahraich-Neoria Road	1 0 0	15 0 0	Ditto.
	10	Bahraich-Balrampur Road	3 0 0	29 0 0	Ditto.
	11	Bahraich-Nanpara Road	0 0 0	20 7 390	Ditto.
43. Deoria	1	Gorakhpur-Deoria Road	Mile 20—32 (Total length 1—26—232)		Ditto.
	2	Deoria-Salempur Road	Mile 18 (Total length—18—0—0)		Ditto.
	3	Salempur-Turtipur Road	Mile 1—11 (Total length 10—330)		Ditto.
	4	Sisua-Hata Road	Mile 1—39 (Total length 30 miles)		Ditto.
	5	Deoria-Karia Road	0 0 0	21 3 177	Ditto.
	6	Kushinagar-Ram Bhar Road	0 0 0	2 2 312	Ditto.
	7	Gorakhpur-Karia Road	16 0 0	35 0 0	Ditto.
44. Gorakhpur	1	Lucknow-Gorakhpur Road	Miles 140 to 161 ft. 1 to 5		Ditto.
	2	Gorakhpur-Karia Road	0 0 0	15 0 0	Ditto.
	3	Alhabad-Gorakhpur Road	131 0 0	160 0 0	Ditto.
45. Sitapur	1	Sitapur-Bahraich Road	2 7 500	28 4 0	Ditto.
	2	Sitapur-Misirli Beniganj Road	1 0 0	23 0 0	Ditto.
	3	Maholi Baragaon Road	1 0 0	7 0 0	Ditto.
	4	Sitapur-Lakhimpur Road	0 0 0	20 0 0	Ditto.
	5	Hargaon Baragaon Road	0 0 0	8 0 0	Ditto.
	6	Sidhauli Biswan Road	0 3 220	17 1 0	Ditto.
	7	Baragaon-Hargaon Road	0 0 0	8 0 0	Ditto.
	8	Sidhauli-Mahmudabai Road C. C. T. Tekka.	1 0 0	18 5 0 to mile 8 and fug. 3.	Ditto.
	9	Hargaon-Dahali Road	1 0 0	0 0 0	Ditto.
	10	Hargaon-Lahurpur Road	1 0 0	6 0 0	Ditto.
	11	Biswan-Warimgan Road	1 0 0	6 0 0	Ditto.
	12	Biswan-Sarayan Road	1 0 0	6 0 0	Ditto.
	13	Biswan-Jitman-Lakhimpur Road	1 0 0	10 0 0	Ditto.
	14	Lucknow-Hardoi-Shahjahanpur Road	94 0 0	104 0 0	Ditto.
46. Shahjahanpur	1	Harailly-Etawah Road	29 0 0	65 0 0	Ditto.
	2	Shahjahanpur-Jalalabad Road	3 0 0	22 0 0	Ditto.
	3	Shahjahanpur-Powayan Road	1 0 0	18 0 0	Ditto.
	4	Shahjahanpur-Powayan Road	53 0 0	60 0 0	Ditto.
	5	Kheri-Shahjahanpur Road	1 0 0	5 0 0	Ditto.
	6	Old Sitapur Road	10 0 0	38 0 0	Ditto.
	7	Powayan-Mulani Road	1 0 0	14 0 0	Ditto.
	8	Jalalabad-Dherigat Road	1 0 0	14 0 0	Ditto.

Noti.]

INDIAN FOREST ACT, 1927—NOTIFICATIONS

83

of the sections mentioned below on the Northern Railway transferred to the Forest Department for management :

Lucknow Division

1. Lucknow-Rae Bareli-Pratapgarh.
2. Varanasi-Mughal Sarai.
3. Utrahtia-Sultanpur-Zafarabad.
4. Unnao-Unchahar.
5. Faizabad-Sultanpur-Phaphamau.

Delhi Division

Saharanpur up to the bridge of river Yamuna on Saharanpur-Ambala Section.

Allahabad Division

Tundla-Shikohabad.

(3)

English translation of Van Vibhag, Anubhag-2, Noti. No. 104/XIV-2-503-77, dated May 9, 1977, published in U. P. Gazette, Part 1, dated 28th May, 1977, p. 1735

In exercise of the powers under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government Forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and Section 68 of the said Act to be applicable to them :

SCHEDULE

Name of strips	Description and situation
Railway	The land along the railway track and station yards of the sections mentioned below on the Northern Railway transferred to the Forest Department for management—
	<i>Moradabad Division :</i>
	1. Raiwala—Rishikesh.
	2. Najibabad—Kotdwar.
	3. Muazampur Narain—Gajroula.
	4. Khurja—Hapur—Meerut.
	5. Raja-Ka-Sahaspur—Sambhal—Hatim Sarai.
	6. Ram Ganga—Chanehti.
	7. Rosa—Sitapur Cantt.
	8. Sitapur—Balamau—Unnao.

कायाप्रतिप्रमाणित

(दीनाराथ राय)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बानिकी प्रभाग
देवरिया

9. Laksar—Delira Dun.
10. Aligarh—Chandausi—Bareilly.
11. Moradabad—Chandausi.

Lucknow Division :

1. Rae Bareli—Unchahar—Phaphamau.
2. Phaphamau—Allahabad.
3. Phaphamau—Janghai—Zafrabad.
4. Zafrabad—Akbarpur.
5. Akbarpur—Tanda.
6. Faizabad—Akbarpur.
7. Utraithia—Faizabad.
8. Kanpur Central—Unnao—Lucknow.

Allahabad Division :

1. Hathras—Hathras Kila.
2. Shikohabad—Farrukhabad.
3. Barhan—Etah.
4. Chunar—Chopan.
5. Tundla—Yamuna Bridge.

(4)

English translation of Van Vibhag, Noti. No. 8109/XIV-2—503-77, dated January 25, 1979, published in U. P. Gazette, Part I, dated 17th February, 1979, pp. 446-447

In exercise of the powers under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and Section 68 of the said Act to be applicable to them :

SCHEDULE

Name of strips	Description and situation
Railway	The land along the railway track and station yards of the sections mentioned below on the North Eastern Railway transferred to the Forest Department for management :

Izzatnagar Division :

1. Rawatpur—Farrukhabad.
2. Farrukhabad—Kasganj.
3. Kasganj—Achnera.

दीनानाथ राय

५२

(दीनानाथ राय)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी विभाग
देवरिया

INDIAN FOREST ACT, 1927—NOTIFICATIONS

85

4. Kasganj Junction—Bareilly.
5. Bareilly Junction—Kathgodam.
6. Bhojipura—Maillani.
7. Pilibhit—Tanakpur.
8. Mathura Junction—Vrindavan.
9. Pilibhit—Shahjahanpur.
10. Sahbajnagar—Pherganj.
11. Moradabad—Kashipur.
12. Kashipur—Ramnagar.
13. Lalkunwan—Kashipur.
14. Mandhana—Bramhvar.
15. Izzatnagar—Sahmatganj.
16. Izzatnagar—Kallhasganj.

Lucknow Division :

1. Gorakhpur Chhawani—Gonda.
2. Gonda—Lucknow Junction.
3. Lucknow Junction—Rawatpur.
4. Maillani—Daliganj.
5. Gorakhpur—Gonda (Loop). ✓
6. Mankapur—Katra.
- ✓ 7. Gonda—Maillani.
8. Anandnagar—Nautanwa.
9. Burahbal—Sitapur.
10. Gansari—Jarwa.
11. Nanpara—Nepalganj Road.
12. Dudwa—Gauriphanta.
13. Dudwa—Chandan Chawki.
14. Sitapur—Thomsanganj.

Varanasi Division :

- ✓ 1. Bhatni—Gorakhpur Chhawani. —
- ✓ 2. Bhatni—Varanasi. —
- ✓ 3. Varanasi—Allahabad City. —
- ✓ 4. Bhatni—Bankata. —
- ✓ 5. Gorakhpur Chhawani—Tinpheria halt (Loop). —
6. Aurihar Junction—Bakulha.
- ✓ 7. Chhitauni—Kaptanganj. —
- ✓ 8. Salempur—Barahajbajar. —
9. Indara—Dohrighat.
10. Phepna—Indara.
11. Mau Junction—Shahganj.

का.प्र.नि.प्र.म.म.म.

(दीनानाथ राय)
प्रभगीय निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रभाग
देवरिया

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही।
पत्रांक- 1960/ज्ञानपुर/26-1, दिनांक, ज्ञानपुर, मार्च, 04, 2021।

सेवा में,

श्री अमित जैन,
मुख्य प्रबंधक (परियोजना)
आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड,
केन्द्रीय निर्माण कार्यालय,
प्रथम तल, विश्वशील काम्पलेक्स,
बी-2/6, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

विषय-

Request to provide certified Gazette Notification of protected forest, relevant record of reserved forest and other forest record of Non protected forest land in District Bhadohi for the clearance/EDS compliance of proposal No FP/UP/Others/42798/2019

सन्दर्भ-
महोदय,

आपका पत्रांक- IHB/PL/PJ/KGPL/FOREST/BDO/2, दिनांक 03.02.2021

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित एल0पी0जी0 पाइपलाइन परियोजना भदोही वन प्रभाग, भदोही के औराई व भदोही रेंज के अन्तर्गत आता है। प्रस्तावित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा नामित मोहम्मद अजहर के साथ वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ज्ञानपुर ने अपने पत्र दिनांक 03.03.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए प्रस्तावित एल0पी0जी0 पाइपलाइन में बाधक वृक्षों के संबंध में अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	मार्ग का नाम	प्रस्तावित एल0पी0जी0 पाइपलाइन में बाधक वृक्ष	योग
1	अभोली नीबी से मिल्कीपुर मार्ग	(1) 01 नग शीशम (2) 02 नग चिलबिल	03
2	भिटौरा कलिंजरा मार्ग	(1) 01 नग शीशम	01
3	मसुदा ज्ञानपुर मार्ग	(1) 03 नग चिलबिल (2) 01 नग जंगल जलेबी	04
		योग	08

क्षेत्रीय वन अधिकारी, भदोही ने अपने पत्र दिनांक 03.03.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए प्रस्तावित एल0पी0जी0 पाइपलाइन में बाधक वृक्षों के संबंध में अवगत कराया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	मार्ग का नाम	प्रस्तावित एल0पी0जी0 पाइपलाइन में बाधक वृक्ष	योग
1	नेवादाकला, भदोही से सुरियाँवा मार्ग	-	-
2	नेवादाकला, मोढं से भदोही रेलपथ	-	-
3	याकूबपुर मार्ग	(1) 01 नग नीम (2) 01 नग कदम	02
		योग	02

क्षेत्रीय वन अधिकारी, भदोही व ज्ञानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित एल0पी0जी0 पाइपलाइन परियोजना भदोही वन प्रभाग, भदोही के उपरोक्त स्थलों से होकर जायेगी जो संरक्षित वन क्षेत्र में नहीं है।

भवदीय,

(आलोक सक्सेना)

प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।
भदोही वन प्रभाग

1913

District	Serial no.	Name of road	Mileage to be declared as Reserved or Protected Forest		Description of boundary
1	2	3	4	5	6
			From	To	
			M. fg. ft.	M. fg. ft.	
27. Lucknow	1	Mohanlalganj-Beni Road miles, 1-11	0 0 0	11 0 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars.
	2	Bani-Harawni Road	0 0 0	7 0 0	Ditto.
	3	Machli Bhawan Bye Pass Road	0 0 0	2 0 0	Ditto.
	4	Chinhath-Malhow Road	0 0 0	1 7 300	Ditto.
28. Banda	5	Lucknow-Hardoi Road	0 5 50	27 0 0	Ditto.
	1	F. B. S. Road	24 0 0	70 0 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars.
	2	B. N. K. Road	2 0 0	32 0 0	Ditto.
	3	Banda-Aliha-Behru Road	1 0 0	25 0 0	Ditto.
	4	A. B. Road	32 0 0	118 0 0	Ditto.
	5	K. P. R. Road	1 0 0	20 0 0	Ditto.
	6	Naraini-Kalinger Road	1 0 0	16 0 0	Ditto.
29. Fatehpur	1	N. H. G. T. Road	543 0 0	592 0 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars.
	2	F. B. S. Road	1 0 0	23 0 0	Ditto.
	3	A. E. F. Road	175 0 0	193 0 0	Ditto.
	4	B. B. Road	1 0 0	7 0 0	Ditto.
	5	F. B. S. Road	1 0 0	15 0 0	Ditto.
	6	Sheo Rajpur-Chilla Road	4 0 0	10 0 0	Ditto.
	7	B. L. Road	6 0 0	20 0 0	Ditto.
	8	Khaga-Naubasta Road	1 0 0	10 0 0	Ditto.
	9	Fatehpur-Bithoor Road	1 0 0	8 0 0	Ditto.
	10	Jahanabad Bye-pass	1 0 0	2 0 0	Ditto.
30. Kanpur	1	Narwal-Saraul Road	From Narwal ends at mile 606-5-571 of G. T. Road.		The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars.
	2	Chakeri Railway Feeder Road	From mile 683-0-0 to 150 ft. of G. T. road ends to Chakeri Railway Station.		Ditto.
	3	Bidhna Railway Feeder and Goodshed Road	From Railway Station ends at 12 mile 7 fur. 364 ft. of G. H. S. Road.		Ditto.
	4	Ramsarai Purwa Railway Feeder and Goodshed Road	From Railway Station to 19 mile 6 fur. 50 ft. of C. H. S. Road.		Ditto.
	5	Ghatampur Railway Feeder Road	Railway Station ends at 25 miles 6 fur. 450 ft. of C. H. S. Road.		Ditto.
	6	Ghatampur Goods and Road	Railway Station end at mile 164-3-435 of C. H. S. Road.		Ditto.
	7	Clyde Road portion	Central Bank Road crossing to the road junction of canal.		Ditto.
	8	Canal Road	G. T. Road mile 620 fur. 3 to Ganga river.		Ditto.
	9	Old Allahabad Road	From mile 614-2-270 ends at cemetery Road in Kanpur continued.		The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.
	10	Kalyanpur-Bithoor Road	From mile 626-2-0 of G. T. road to at mile 8 of local road.		Ditto.
	11	Bara-Akbarpur Road	1 0 0	4 0 0	Ditto.
	12	Rura-Derapur Road	1 0 0	9 0 0	Ditto.
	13	Rura-Akbarpur Road	1 0 0	8 0 0	Ditto.
	14	Akbarpur-Mati Road	1 0 0	4 0 0	Ditto.
31. Faizabad	1	Faizabad-Azamgarh Road	0 0 0	59 0 0	Ditto.
	2	Jaunpur-Akbarpur Road	31 0 0	50 4 0	Ditto.
	3	Tanda-Akbarpur Road	0 0 0	10 4 0	Ditto.
	4	Goshainganj-Renewa Ashram Road	0 0 0	4 0 0	Ditto.
	5	Faizabad-Rae Bareilly Road	1 5 30	27 0 0	Ditto.
32. Sultanpur	1	Lucknow-Ballia Road	91 0 0	116 0 0	Ditto.
	2	Sultanpur-Jais Road	91 0 0	116 0 0	Ditto.
33. Bara Banki	1	Haidergarh-Ramsanehighat Road	0 2 236	18 0 616	Ditto.
	2	Bara Banki-Dewa Road	0 0 0	8 0 0	Ditto.
	3	Dewa-Fatehpur Road	0 0 0	10 4 334	Ditto.
34. Pratapgarh	1	Pratapgarh-Patti-Singrauan Road	3 0 0	31 0 0	Ditto.
	2	Allahabad-Unnao Road	25 0 0	49 0 0	Ditto.
	3	Lalganj-Kalakankar Road	0 0 0	25 0 0	Ditto.
	4	Lucknow-Banaras Road	108 0 0	125 0 0	Ditto.
	5	Katra Gulabsingh Road	0 0 0	4 0 0	Ditto.

5/10/13

प्रमाणित वसतिगार
27/4/75. इन्दिरा नगर, लखनऊ

1945 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2171 17431737

香江

२३ भाद्रपद, १९५५ ई०

सां. ३१२०/१४-६०(१)-५५-जी अदि० एन०
पी० एफ० एम०, मिस्ट्री फसलवेटर आफ फारेन्सिस को २३
१९५५-६० से ३१ विन जी. उदात्त छुट्टी दो ज.तो
जुनो २३ से २६ प्रवतुनर १९५४ ई० रविधार तथा अ
छुट्टी उम छुट्टी के साथ पुष्पिलित करने को अज्ञा को

नियुक्ति

२३ अस्त, १५५ ई०

सं. १२०(२)/१५-६०(१)-१५-कायभा. प्र.
की तारीख से भी थी। तथा, पी० एफ० एम०, ग्रिमस्टेड
वेयर प्राक फारेस्ट्स की भी शी. कार. एत० भरोला, पी० ए.
के स्थान पर, जिसकी छट्टी जी. प्र० है, स्थानांतरित किया
प्राक फारेस्ट, कलागढ़, फारेस्ट डिवीजन नियमल किया गया।

त्रिविध

२५. ५५५५, २९५५, ५०

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिस्पर्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २०-ए के साथ एडिटेड उक्त उपधारा (१) द्वारा प्रवृत्त अधिकांशों का अग्रगण्य भारों पूर्वी गति होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के सेक्टर ४ के निम्न इकाई प्रत्यक्षीय निश्चित भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम- संख्या	विषय का नाम जो भारतीय नव एमर परिस्येद ४ के अंतर्गत रीक्षण, वन प्रोपगण्ड की गई है	जिला	राज्य की संख्या मिली है	पंजाब ज
१	पट्टक रोड, मोल ५६२/० से लेकर मोल ६६३/० तक	फातपुर	७१ ० ०	जनाम की ह
२	फातपुर-कानपी सड़क, मोल ५२/० से लेकर मोल ६६/० तक	"	४४ ० ०	मा सेफि
३	कानपुर-हजूरपुर सड़क, मोल १/० से लेकर मोल १९/० तक	"	३७ ० ०	काइरा
४	हजूरपुर रोड, मोल ११६/० से मोल १७३/० तक	"	५४ ० ०	दि का
५	हजूरपुर-फातपुर सड़क, मोल ० से लेकर मोल ५६/३-६४०	लखनऊ और उधवा	४६ ३ ६४०	
६	फातपुर-कानपी सड़क, मोल ० से लेकर मोल १५२/० तक	लखनऊ, सीतपुर, आह	१५२ ० ०	
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मोल ० से लेकर १००/० तक	जहापुर, चरेला		
८	लखनऊ-मुफ्तापुर सड़क, मोल ० से लेकर मोल ८५/१-	लखनऊ, रायबरेली	८५ १ ३३८	
९	मुफ्तापुर-कानपी सड़क, मोल ० से लेकर मोल ७५/३-	गोरखपुर		
१०	कानपी-हजूरपुर सड़क, मोल ० से लेकर मोल ७५/३-	गोरखपुर		

प्रभातिया या A
Bun

पञ्चमोऽध्यायः
अथ पञ्चमः अध्यायः

~~21475~~

Noti.]

INDIAN FOREST ACT, 1927—NOTIFICATIONS

83

of the sections mentioned below on the Northern Railway transferred to the Forest Department for management:

Lucknow Division

1. Lucknow-Rae Bareilly-Pratapgarh.
2. Varanasi-Mughal Sarai.
3. Utrahtia-Sultanpur-Zafarabad.
4. Unnao-Unchahar.
5. Faizabad-Sultanpur-Phaphamau.

Delhi Division

Saharanpur up to the bridge of river Yamuna on Saharanpur-Ambala Section.

Allahabad Division

Tundla-Shikohabad.

(3)

English translation of Van Vibhag, Anubhag-2, Noti. No. 104/XIV-2-503-77, dated May 9, 1977, published in U. P. Gazette, Part I, dated 28th May, 1977, p. 1735

In exercise of the powers under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor has pleased to declare the strips of Government Forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and Section 68 of the said Act to be applicable to them:

SCHEDULE

Name of strip	Description and situation
Railway	The land along the railway track and station yards of the sections mentioned below on the Northern Railway transferred to the Forest Department for management— <i>Moradabad Division:</i> 1. Raiwala—Rishikesh. 2. Najibabad—Kotdwar. 3. Muazampur Narain—Gajroula. 4. Khurja—Hapur—Meerut. 5. Raja-Ka-Sahaspur—Sambhal—Hatim Sarai. 6. Ram Ganga—Chanehtia. 7. Rosa—Sitapur Cantt. 8. Sitapur—Balamau—Unnao.

प्रमाणित प्रति

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर प्रदेश

21/475. इन्दिरानगर, लखनऊ

[INDIAN] FOREST ACT, 1927

[NOTI.]

9. Jaksar—Dehra Dun.
10. Jilgach—Chandausi—Bareilly.
11. Moradabad—Chandausi.

Lucknow Division:

1. Rae Bareli—Unchahar—Phaphamau.
2. Phaphamau—Allahabad.
3. Phaphamau—Janghai—Zafarabad.
4. Zafarabad—Akbarpur.
5. Akbarpur—Tanda.
6. Faizabad—Akbarpur.
7. Traithia—Faizabad.
8. Kanpur Central—Unnao—Lucknow.

Allahabad Division:

1. Hathras—Hathras Kila.
2. Sikohabad—Farrukhabad.
3. Barhan—Etah.
4. Chunar—Chopani.
5. Bandla—Yamuna Bridge.

English translation of Van Vibhag, No. 8109/XIV-2—503-77, dated January 25, 1979, published in the Gazette, Part I, dated 17th February, 1979, pp. 446-447

In exercise of the powers under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and Section 68 of the said Act to be applicable to them:

Schedule

Name of strips	Description and situation
Railway	The land along the railway track and station yards of the sections mentioned below on the North Eastern Railway transferred to the Forest Department for management:

Izzatnagar Division:

1. Rawabli—Farrukhabad.
2. Farrukhabad—Kasganj.
3. Kasganj—Achnera.

माहित उत्तर

प्रमाणित

प्रमाणित वनाधिकारी
अथवा वन प्रभारी
21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ

4. Kasganj Junction—Bareilly.
5. Bareilly Junction—Kathgodam.
6. Bhojipura—Maillani.
7. Pilibhit—Tanakpur.
8. Mathura Junction—Vrindavan.
9. Pilibhit—Shahjahanpur.
10. Sahbajnagar—Shahganj.
11. Moradabad—Kashipur.
12. Kashipur—Rampur.
13. Lalkunwan—Kashipur.
14. Mandhana—Bambharta.
15. Izzatnagar—Shahmatganj.
16. Izzatnagar—Shahganj.

Lucknow Division :

1. Gorakhpur Chhawani—Gonda.
2. Gonda—Lucknow Junction.
3. Lucknow Junction—Rawatpur.
4. Maillani—Shahganj.
5. Gorakhpur—Gonda (Loop).
6. Mankapur—Katra.
7. Gonda—Maillani.
8. Anandnagar—Gautanwa.
9. Burahbal—Sitapur.
10. Gansari—Jaulia.
11. Nanpara—Nepganj Road.
12. Dudwa—Gaurchhanta.
13. Dudwa—Chauran Chawki.
14. Sitapur—Theraganj.

Varanasi Division :

1. Bhatni—Gorakhpur Chhawani.
2. Bhatni—Varanasi.
3. Varanasi—Allahabad City.
4. Bhatni—Banka.
5. Gorakhpur Chhawani—Tinpheria halt (Loop).
6. Aurihar Junction—Bakulha.
7. Chhitauni—Ratanganj.
8. Salempur—Baranajbajar.
9. Indara—Dohrhat.
10. Phepna—Indara.
11. Mau Junction—Shahganj.

[Signature]

[Signature]

विभागीय दफ्तर

मुख्य वन प्रभारी

इन्दिरानगर, रायबरेली

21/4/75

क्र.सं.	जंगल का नाम	तहसील	परगना	क्षेत्रफल गजट के अनुसार एकड़ में		दिशाओं का विवरण			
				अ.सं.	व.सं.	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४४	उमरिया	मलीहाबाद	महोना	६३४	२११	खेत, बंजर भूमि, नाला	उमरिया गांव, जंगल, खेत	मुरापरिरी जंगल, नाला, खेत	सरवा जंगल और नाला
५५	बाजपुर गंगोरा	"	"	११२	---	खेत, बंजर भूमि, जंगल	खेत, बंजर भूमि, गंगोरा गांव	बंजर भूमि, नाला, करीमनगर जंगल	खेत, बाग।
५६	मोहन कलां	"	"	४१८	---	खेत, बंजर भूमि, चटनपुर, अबर-खेड़ा, छोटी कुरैल	मोहन कलां गांव, खेत, बंजर भूमि	गांव असरामऊ, बंजर भूमि, खेत	खेत, बाग, बंजर भूमि, रसूलपुर।
५७	इन्दारा	"	"	११६	---	खेत, बंजर भूमि, बाग	नाला, खेत, बंजर भूमि, बाग, इंदारा गांव	खेत और बंजर भूमि	खेत, बाग, बंजर भूमि, करीम-नगर व बीरपुर।
५८	चन्दा कौन्डर	"	"	१७१	---	खेत, बंजर भूमि	खेत, बाग, बंजर भूमि	सड़क, खेत, जंपुर	खेत, बाग, बंजर भूमि।
५९	कनौरा	"	"	१२३	६१	मुरापरिरी व उम-लिथा जंगल	जंगल व खेत	विश्रामपुर गांव, खेत	उमरिया जंगल, गुदपुरवा जंगल।
६०	हनुमन्तपुर	"	"	२२०	---	खेत व जंगल	हनुमन्तपुर, खेत, बाग	वाहपुर नाला, उमरिया जंगल, खेत	जंगल, खेत, बंजर भूमि।
६१	अमनवा अमावी	लखनऊ	बिजनौर	६२३	३५८	रेलवे लाइन	अमनवा गांव व रास्ता	नाला	शाहजन्पुर जंगल।
६२	शाहजन्पुर	"	"	२६०	१६४	"	भजार चाक व रास्ता	अमनवा जंगल	शाहजन्पुर गांव।
६३	अनौरा	"	"	१५३	९५	बन्यरा गांव	अंडपुर गांव	रानीपुर गांव व खेत	अनौरा गांव।
६४	पीपरसण्ड	"	"	७४३	४६४	रानीपुर, मुल्ला खेड़ा, खेत, नाला	पीपर सण्ड, खेत, नाला	सहमपुर व फार्म	नौनाहन नाला व नाली।
६५	जैतीखेड़ा	"	"	३९८	---	भदरसा गांव	सहाबा गांव	खेत	पिखार गांव।
६६	खटोला	"	"	५३२	२०२	जैती खेड़ा	जैती खेड़ा गांव	माती जंगल	भागू खेड़ा व नाला।
६७	गहू	"	"	८७२	३६६	कानपुर रोड	नाला	गहू गांव	रानीपुर गांव व नाला।
६८	माती	"	"	१३९२	२४५	माती गांव व नाला	नतकूर जंगल	बिजनौर जंगल	भदरसा जंगल।
६९	सखतपुर कैंची	"	"	३४२	२४०	सखतपुर कैंची	खटोला जंगल	भदरसा जंगल	भागू खेड़ा व नाला।
७०	अमीसी	"	"	५२६	३८९	कजरा हरीन खेड़ा	नाला	सरोजिनीनगर फार्म	गहू जंगल।
७१	रुनी	"	"	४२९	१८३	रुनी गांव व खेत	कानपुर सड़क, बंजर भूमि	नूरवी खेड़ा, खेत, बाग	खेत, बाग, बन्यरा की कच्ची सड़क।
७२	रसूलपुर इथौरिया	"	"	११३	---	सखतपुर गांव व खेत	रसूलपुर गांव	नहर	सड़क व नतीक-नगर।
७३	सखतपुर	"	"	११३	---	पेडसिन स्टोर	खेत व गांव	सगडा गांव	कुसेला तालाब।
७४	सातहा	"	"	४१९	---	पिपरसण्ड जंगल	रेलवे लाइन	रूपखेड़ा	बरा नाला।
७५	मेसीरा	"	"	३२७	---	खेत	देवीपुर	सड़क कुरियां गांव	मेसीरा गांव।
७६	ब. गौरी	"	"	१२८	३८५	गौरी नदी, खेत	खेत	बेता नदी व खेत	खेत व बाग।

प्रमाणित है

आजाय वनाधिकारी
अथवा वन प्रभारी
११/४७५, इन्दिरानगर, लखनऊ

आजा से,
जहूवल हसन,
सेक्रेटरी।

उत्तर प्रदेश सरकार

वन विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

25 फरवरी, 2004 ई0

सं0 2488/14-2-2003-4(4)-2002--उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) व (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 6828/14-806-55, दिनांक 23 नवम्बर, 1955 का परिष्कार करते हुए राज्यपाल अधोलिखित सूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित बनाने के विनिश्चय की घोषणा करते हैं।

राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1927 की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) में सिटी मजिस्ट्रेट, आगरा को उक्त आरक्षित वन के सम्बन्ध में उक्त खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए वन रीवस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं--

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (ब.घों में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

ब्लॉक नं0-1

लखनऊ	लखनऊ	विजनीर	अमौसी	01	115 6 0	उत्तर--सीमा ग्राम समदा ।
				70	23 1 0	पूर्व--सीमा ग्राम अनौरा एवं नाला ।
				78-ख	33 10 0	दक्षिण--ग्राम अमौसी
				योग	171 17 0	की गाटा नं0 4,
						53, 54, 55,
						56, 63, 64,
						65, 68, 69,
						72 एवं 77 ।
						पश्चिम--सीमा ग्राम चकौली ।

11/2/04 अतः

राज्यपाल

21/2/04

1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	लखनऊ	विश्वनौर	अमौसी		बो0 त्रि0 त्रि0	
						ब्लाक नं0-2	
				5	01 12 10	पुरव--ग्राम अमौसी की गाटा	
				7	05 02 10	संख्या 2, 3, व 4।	
				योग ..	06-15-0	पश्चिम--ग्राम अमौसी की गाटा	
						संख्या 6 एवं सीमा	
						ग्राम चकौसी।	
						उत्तर--ग्राम अमौसी की	
						गाटा संख्या 4।	
						दक्षिण--ग्राम अमौसी की गाटा	
						संख्या 8, 12।	
						ब्लाक नं0-3	
				336-क	17 17 05	पुरव--ग्राम अमौसी के गा	
				338-ड	18 18 0	संख्या 340, 348, 2	
						से 353।	
				483	85 18 15	पश्चिम--सीमा ग्राम पिपरसण्ड।	
				योग ..	122 14 0	उत्तर--ग्राम अमौसी के गाटा	
						संख्या 419, 420,	
						422, 426, 428,	
						429, 475, 476 व	
						336 ख।	
						दक्षिण--रेलवे लाइन।	
						ब्लाक नं0-4	
				764-ख	37 9 0	पुरव--ग्राम अमौसी की गाटा	
				765-ख	01 16 0	संख्या 706 एवं इण्ड-	
				783-ख	57 04 0	ऑयल हिन्दुस्त	
				840-ख	32 15 0	पेट्रोलियम की वाउण्ड्री-	
				864	53 06 0	वाल।	
				872-ख	100 06 0	पश्चिम--सीमा ग्राम गहगहू।	
				882-ग	136 0 10		
				1030	13 0 0	उत्तर--सीमा ग्राम पिपर-	
				1042-ख	01 01 10	सण्ड एवं रेलवे लाइन।	
				1043	174 15 08	दक्षिण--ग्राम अमौसी के गाटा	
				1063-ख	01 18 0	संख्या 1044, 1044;	
						1046, 1047, 1049,	
						1061 एवं 1017।	
				योग ..	609 11 08		

प्रमाणित प्रति

राम

21/475. प्रमाणित प्रति

1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	लखनऊ	विजनीर	अमौसी		ब्री0वी0वि0	
						ब्लॉक नं0-5	
					1027	1 0 0	पूर्व--अमौसी ग्राम का गाटा संख्या 1023। पश्चिम--अमौसी ग्राम का गाटा संख्या 1023 व 1028। उत्तर--अमौसी ग्राम का गाटा सं0 1026 1028। दक्षिण--अमौसी ग्राम का गाटा संख्या 1023
					कुल योग ..	911 17 8	
					अथवा		
					569.93	एकड़	

आज्ञा से,
पवन कुमार,
विशेष सचिव।

५ माहिन ७९

[Signature]

अमौसी विधानसभा
अ. नं. १२३४
२१/५/०५. २००५

टिप्पणी--राजपत्र दिनांक 01-05-2004, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी0 एस0 यू0 पी0--3 सी0 बन--11-05-2004-25--(मोनो)।